



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466359
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2347/SEIAA/2022

Date: 14/12/22

प्रति,

कलेक्टर

जिला - गुना (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - गुना (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम)

सदरम: आपका पत्र क्र. 1200/खनिज/2022 दिनांक 16.11.2022

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा ⁷⁶⁰ 757वीं बैठक दिनांक ^{07.12.2022} 18.11.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 में गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

..... खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला-गुना के पत्र क्र 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये। "

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 607वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदनुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। मुलम सदरम हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई-मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव

क्र. /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संचालक, प्रशासन/तकनीकी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।


12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 में दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :


"..... खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला-गुना के पत्र क्र० 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये। "

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 607वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्हमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

जिसमें क्वेरिंग लेटर व हार्ड कापी प्रस्तुत नहीं की गई हैं और न ही कोई सक्षम अधिकारी प्रस्तुत हुए। समिति ने प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं पाया कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है, जो निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी उपरोक्त जानकारी का समावेश कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः अनुमोदन हेतु क्वेरिंग लेटर व हार्ड के साथ प्रस्तुत करें।

ब. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (अन्य गौण खनिज – गिट्टी एवं मुरुम)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना म.प्र. ने पत्र 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट **(अन्य गौण खनिज – गिट्टी एवं मुरुम) की तैयार की है। प्रभारी खनिज अधिकारी ने** संदर्भित पत्र में प्रस्तुत किया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले पोर्टल पर 30 दिवस की समयवधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है। इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 26/07/2022 को किया गया।

आज दिनांक 21/11/22 को गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

Mineral	Other Minor Minerals (Stone & Murrum)
Earlier DSR Discussed	New DSR
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Guna No. 1200 dated 16.11.2022
SEAC meeting dated 21/11/22	<p style="text-align: center;">अन्य गौण खनिज – गिट्टी</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 24–40) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी चैप्टर –08 (पेज न0. 24–40) में दी गई है <p style="text-align: center;">अन्य गौण खनिज – मुरुम</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 24–27) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी चैप्टर –08 (पेज न0. 24–27) में दी गई है

**607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022**

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला-गुना के पत्र क्र० 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - गिट्टी एवं मुरुम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

**(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव**

**(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष**



Final

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

जिला- गुना (2021-22)
(रित खनिज को छोडकर)(संशोधित)
खनिज- मुरुम



As Per Notification No. S.O. 141(E), 15th January, 2016, S611(E), 25th July 2018, New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

प्रस्तुतकर्ता
श्रीमती पूजा वानखेडे
खनि निरीक्षक
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला- गुना (म.प्र.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1100

गुना, दिनांक 16/07/2022

प्रति,

सदस्य सचिव,
SEAC (सेक), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.)

विषय - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) रेत के अतिरिक्त गिट्टी एवं मुरम खनिज के संबंध में।

संदर्भ :- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.22

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्र. /3-6/खनिज/2022/373 गुना, दिनांक 24.03.2022 द्वारा सस्टेनेबल सेक माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 एवं इंगफोर्समेंट मॉनिटरिंग फार माइनिंग 2020 के अंतर्गत गुना जिले में स्थित खनिजों हेतु प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपसंगान स्तरीय समिति (एच डिविजनल कमेटी) का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा अनुसूचित प्रारूप, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जनसामान्य के सुझाव हेतु गुना जिले के NIC पोर्टल पर 2 दिवस के लिए, दिनांक 29.07.2022 को वेबसाईड पर अपलोड कराया गया था किंतु कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे। उसके उपरांत रेत के अतिरिक्त अन्य गौण खनिज मुरम एवं गिट्टी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक (SEAC) की रिपणी के उपरांत पुनः संशोधन कर सेक (SEAC) में प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अन्य गौण खनिज गिट्टी एवं मुरम की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः अधिम कार्यवाही हेतु सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ.) में पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-
अन्य गौण खनिज गिट्टी एवं मुरम
की सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ.)

प्रभारी खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)
गुना, दिनांक 16/07/2022

पु. क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1201

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, सिया सचिवालय पर्यावरण भवन, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी खनिज अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाचार निवारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण विभाग, ई-5, अरेश कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट - <http://www.mpselaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2486970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462130

No. 1620 / SEIAA/2021
Date: 11-8-2021

संचालक
जीनेकी तथा खनिज
28-ए, खनिज भवन,
अरेश हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 23.07.2016 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 05 वर्ष में अद्यतन (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खनिज अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि MP SEIAA में प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के जिलेवार खनन प्रकरणों के आवेदनों के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न किये जा रहे परियोजना प्रस्ताव को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में अनिवार्यतः सम्मिलित करें।

साथ ही संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्रमाण-पत्र प्रदान करें कि वर्ष 2016-17 के उपरांत स्वीकृत खदानों को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्मिलित किया जायेगा। इसके उपरान्त ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन मान्य किए जायेंगे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1621 /SEIAA/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 11.8.2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, पर्यावास भवन, अरेश हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को ओर सूचनार्थ।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सदस्य सचिव

1161

संभालक
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
20-ए 'खनिज भवन' अरेश जिल्हा भोपाल

क्रमांक 1160 / भौमिकी / म.क्र. / 2022
प्रति

श्रेणी का नाम	M.O	दिनांक	08/4/22
प्राप्ति	11 APR 2022	जिल्हा	गुना
अधीक्षक			

कलेक्टर
जिला - नरसिंहपुर, डिप्टी सी. एम.ओ.
शाखोल एवं मालियार

विषय - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बाबत
संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 03.03.2022

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के समस्त जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सस्टेनेबल सेण्ड मैनेजमेंट गाईड लाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट फॉर सेण्ड गाईनिंग 2020 की गाईड लाईन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) के अनुसार प्रत्येक जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित कमेटी द्वारा तैयार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि गठित कमेटी द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर 21 दिवस हेतु जिला पोर्टल पर आमजन के दावे/आपत्ति हेतु प्रदर्शित करें, तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट को संबंधित समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात सिएक को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(Signature)
कार्यालय प्रमुख

42
12.4.2022

पृ क्रमांक / भौमिकी / म.क्र. / 2022
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभाग आयुक्त, संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) जिला समस्त की ओर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा तत्काल सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(Signature)
12.4.22

कार्यालय प्रमुख
(Signature)
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(E.S.G.O.)
Paryavaran Shikharisar
E-5, Anera Colony, Bhopal (M.P.)

1057

कार्यालय
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश

29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल

फोन एवं फैक्स - 0756-2551293

E-mail: dir@omn(m.p).nic.in

क्रमंक प्रति 2981 खनिज/विविध/न.क्र.

समस्त कलेक्टर
(खनि शाखा)
मध्यप्रदेश

दिनांक 03/3/22

04 MAR 2022

समस्त कलेक्टर
(खनि शाखा)
मध्यप्रदेश

विषय : सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट माडिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रत्येक जिले में सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट माडिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 गाईडलाईन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की जानी है। जिले की डीएसआर तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट माडिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में प्रारूप डीएसआर निम्न समिति द्वारा तैयार की जानी है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2. जल संसाधन विभाग के अधिकारी
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नामांकित अधिकारी
4. वन विभाग के अधिकारी
5. जिले के खनि अधिकारी/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पदस्थ अधिकारी

MW
7/3/22

उपरोक्त अनुसार तैयार प्रारूप डीएसआर को जिला कलेक्टर द्वारा सिएक (SEAC) को अर्पित की जायेगी। सिएक (SEAC) द्वारा इसे सिया (SEIAA) को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

अनुमोदित
MC2
23/3/22
9.3.2022

2Ml
03/3/22
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
भा.प्र.से.
संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)


State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryaveeran Parisar
E-5, Aare Colony, Bhopal (M.P.)

पृ. क्रमांक 2982-86
प्रतिलिपि :- /खनिज/विविध/न.क्र. /2022

भोपाल, दिनांक 03/3/22

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की ओर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. खनिज अधिकारी जिला मध्यप्रदेश की ओर संचालनालय द्वारा डीएसआर तैयार किये जाने हेतु नियुक्त एजेंसी द्वारा यदि प्रारूप डीएसआर तैयार किया जा चुका है तब इस प्रारूप डीएसआर का परीक्षण उपरोक्तानुसार गठित समिति से कराया जाये। समिति द्वारा इस प्रकार तैयार प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रभारी अधिकारी, भौमिकी शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति गुना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3661-3661/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) के पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सरटेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में संचालक महोदय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/ 2981/2982-86 भोपाल दिनांक 03.03.2022 तथा कलेक्टर महोदय जिला गुना के आदेश क्र. 689-690 गुना, दिनांक 17.06.2022 के पालन में प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) निम्न समिति द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गई है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री एस.के. जैन	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला गुना (म.प्र.)	(एस. के. जैन) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग गुना (म.प्र.)
2	श्री वीरेन्द्र सिंह बघेल	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-गुना, जिला गुना (म.प्र.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना (म.प्र.)
3	श्री आर.सी. हामोर	उप यन मण्डल अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना (म.प्र.)
4	श्री सुधाबसु तिवारी	जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना (म.प्र.)	जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना (म.प्र.)
5	श्री आर.के. पाण्डेय	खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)	खनि अधिकारी जिला गुना (म.प्र.)
6	श्री दीपक सक्सेना	खनि निरीक्षक गुना	खनि निरीक्षक गुना
7	श्रीमती पूजा वानखेडे	खनि निरीक्षक गुना (प्रस्तुतकर्ता)	खनि निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.) 26/07/2022 खनि निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

(EPAO)

Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2827]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है ;

और रांची स्थित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य बातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है ;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है ;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

4250 GI/2018

(1)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

(EPCO)

Parvati, An Parisar

E. S. Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh

अनुक्रमाणिका

(Table of Contents)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	प्रस्तावना (Introduction)	1
02.	जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)	7
03.	गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)	8
04.	जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)	9
05.	जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)	12
06.	जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface water & Ground water Scenario in the District)	18
07.	जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Detail of Rainfall and Climate Condition of the District)	23
08.	प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टो का ब्यौरा (Detail of the Mining leases in the District as per the Following Format)	24
09.	विगत तीन वर्षों के राजस्व का ब्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)	28
10.	विगत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा (Production Details of Last Three Years)	28
11.	जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)	29

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SLEIAA)

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव
अनुमति प्राप्ति के लिए
आवेदन संख्या: 390/2024


क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)	30
13.	जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)	30
14.	जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Uses of Available Minerals in the District)	30
15.	जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)	30
16.	जिले के मानचित्र पर चिह्नांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)	31
17.	जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)	32
18.	गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृति शीर्ष एवं ढलान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the District Guna)	35
19.	पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)	39
20.	पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)	40
21.	खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)	41

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
22.	जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)	42
23.	जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)	48
24.	जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Managment)	49

List of Maps

Nos.	Maps
1.	Location Map
2.	Toposheet Map
3.	Satellite Map
4.	Base Map
5.	Geological & Mineral Map of Madhya Pradesh
6.	Tehsil Map
7.	Geological Map
8.	Land Use/Land Cover Pattern Map
9.	Forest Map
10.	Soil Map of Madhya Pradesh
11.	Soil Map
12.	Seismic Zone Map
13.	Drainage Map
14.	Water Resources Map
15.	Ground Water Potential Zone Map
16.	Watershed Map
17.	Basin Map
18.	District Resource Map
19.	Existing Cruhsers Quarry Lease Map
20.	Geomorphological Map
21.	Physiographical Map
22.	Digital Elevation Model (DEM)
23.	Slope Map





 Environmental Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EIAA)
 Parvati, 30 Parisar
 E-S, Arera Colony, Bhopal, M.P.

01- प्रस्तावना (Introduction)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना अनुसार गौण खनिज रेत एवं अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार किये जाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में शासन स्तर से प्राप्त अद्यतन निर्देश अनुसार जिला गुना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना उपबिन्दु से शुरू होकर प्रस्तावित प्रारूप अनुसार अग्रांकित रूप से तैयार की है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, जिससे जिले की खनिज संपदाओं की उपलब्धता एवं उनकी अवस्थिति संबंधित सूचनाओं का संकलन है।

खनिज की उपलब्धता एवं आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्लान में चाहे गये खनिज के दोहन हेतु अपनी यह अनुशंसा जारी कर सकेगी कि प्रस्तुत अवस्थिति पर खनिज की उपलब्धता है एवं जारी की जाने वाली सम्मति हेतु उपर्युक्त परिस्थितियां खनन स्थल पर है, साथ ही पर्यावरण से संबंधित यह आंकलन भी इस आधार पर संभव हो सकेगा कि पट्टाधारी को पर्यावरण सम्मति प्रदान की जावे अथवा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन में कुछ आवश्यक सुधार पश्चात सम्मति प्रदाय हेतु अनुमोदन किया जावे।


मध्यप्रदेश राज्य में जिला गुना की स्थिति



गुना, प्राचीन अवंती साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना प्रद्योत राजवंश के 'चण्ड प्रद्योत महासेना' ने की थी, बाद में शिशु संघ ने अवंत के राज्य को जोड़ा, जिसमें

गुना को मगध के बढते साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, गुना को मराठा राजा श्री रामोजी राव सिंधिया ने जीत लिया और गुना, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद तक ग्वालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 28 मई 1948 को गुना मध्यप्रान्त राज्य का हिस्सा बना, 01 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश की स्थापना होने पर गुना जिला मध्यप्रदेश में शामिल हो गया। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना जिले का वर्तमान प्रशासनिक मुख्यालय गुना, जिला मुख्यालय है। गुना शहर 05 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ था। 19वीं सदी के पूर्व गुना, ईसागढ (अब जिला अशोकनगर में स्थित) जिले का एक छोटा सा गाँव था।


जिला गुना- अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट संख्या 54 C/16, D/13, D/14, D/15, D/16, G/4, G/8, H/1, H/2, H/3, H/4, H/5, H/6, H/7, H/8, H/9, H/10 एवं H/11 तथा 55 E/1 एवं E/5 के अंतर्गत विद्यमान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 474 मीटर (1555 फीट) है। जिला गुना 23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E A 77°40'00"E, अक्षांतरो देशांतरो के मध्य स्थित है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPSCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


जिला गुना का उपग्रह चित्रण



Satellite Images, अंतरिक्ष से मानव निर्मित उपग्रहो द्वारा बिना किसी Physical Object के उपयोग द्वारा पृथ्वी के वास्तविक चित्रण को दर्शाती है, उक्त उपग्रह चित्रण जिला गुना को दर्शा रहा है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Harvavaran Parisar
Bhoval, M.P.



जिला गुना मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है तथा इसका क्षेत्रफल 6,390 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है तथा जिले में कुल 07 तहसीले हैं जो कि- गुना, आरोन, राघौगढ़, मधुसूदनगढ़, बमोरी,

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Parvatan Parlsar
E. S. Arora, Bhopal (M.P.)

चांचौडा एवं कुंभराज तथा 05 ब्लॉक क्षेत्र जो कि- गुना, बमोरी, राघौगढ, आरोन तथा चांचौडा है। यह जिला पूर्व दिशा में अशोकनगर, उत्तर में शिवपुरी व दक्षिण में राजगढ, भोपाल, विदिशा और सागर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के झालावाड एवं बॉरा जिले से परिसीमित है। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को दो भागों में विभाजित किया गया, जिस से पूर्वी भाग अशोकनगर जिला बन गया।

गुना जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र- गुना, बमोरी, चांचौडा और राघौगढ स्थित है। गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। गुना जिले में स्थित राघौगढ एवं चांचौडा क्षेत्र राजगढ लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है तथा वर्तमान में, गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस, गुना लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है।

गुना जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-03 जिले के पश्चिमी भाग से गुजरता है। पश्चिम रेल्वे, बीना-कोटा तथा मक्सी-रूठियाई खंड लाईन जिले के मध्य तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। जिला गुना सभी प्रमुख स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पक्के मार्गों से जुड़ा हुआ है।

जिला गुना ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुना जिले में प्रसिद्ध 'बजरंगगढ का किला' अवस्थित है, जिसका निर्माण सन् 1775 में मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था तथा इस किले के अंदर तोपखाना, रंग महल, मोती महल, श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण मंदिर व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार बजरंगगढ क्षेत्र में संगमरमर और शीशो से बने 700 वर्ष पुराने जैन सम्प्रदाय के तीर्थकर भगवान श्री शांतिनाथ, श्री कुंथनाथ एवं श्री अर्हरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। गुना जिले में प्रसिद्ध 'राघौगढ का किला' स्थित है, इस किले का निर्माण सन् 1673 में संभवतः चौहान खींची वंश के राजा ने करवाया था। गुना जिले में बीस भुजा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इस मंदिर में दुर्गा माता की 20 हाथों वाली हथियार धारण किए हुए प्रतिमा स्थापित है, इसके बारे में पौराणिक किंवदंती है कि माता के 20 हाथों के, जिस व्यक्ति को दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार जिले में अन्य धार्मिक स्थल जैसे- पंचमुखी हनुमान आश्रम, हनुमान टेकरी, हनुमान मंदिर कैंट, राम जानकी मंदिर, खैरोदा मंदिर एवं

कंकाली मंदिर बमौरी, क्राइस्ट द किंग चर्च, निहाल देवी माता मन्दिर सिरसी-महु रोड, अजित खो आश्रम, टुका श्री हनुमान मंदिर राघौगढ, प्राचीन गादेर गुफा, चार धाम मंदिर जामनेर आदि प्रसिद्ध स्थल है।


गुना जिले में मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केन्द्र स्थित है तथा जिले के भामावड़ गाँव में 'तेजाजी के मेले' का आयोजन किया जाता है, यह मेला तेजाजी की जंयती पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित होता है, ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो साँप के काटने पर उसके जहर को खत्म कर देती है। गुना के विजयपुर से हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन यहीं से होकर गुजरती है। हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर भारत की पहली स्टेट गैस पाइपलाइन है। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित चार इकाईयो में से एक यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। गुना के विजयपुर में गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) इंडिया की उत्पादन इकाई है। वर्ष 1984 में स्थापित गेल भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है।

गुना जिले में प्रसिद्ध कातिकिया नृत्य किया जाता है, यह नृत्य कार्तिक माह में किया जाता है। गुना के विजयपुर में भू-उपग्रह दूर संचार उपग्रह केन्द्र है। गुना जिले में धनिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है तथा यहाँ की तहसील कुंभराज स्थित मंडी, धनिया के लिए जानी जाती है। गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डैम स्थित है, जो कि पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच से होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन और सुठालिया परियोजना के नाम से बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. की पाँचवी सबसे बड़ी जनजाति 'सहरिया' गुना जिले में निवास करती है। गुना जिले में हिन्दी भाषा तथा बुंदेली व सहरिया बोली जाती है। कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है। गुना जिले में मुख्य फसल के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा गेहूँ और चने की खेती भी होती है। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है तथा जिले में मवेशी पालन उद्योग के रूप में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है।

02- जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)

मध्यप्रदेश का भूविज्ञान तथा खनिज मानचित्र
GEOLOGICAL AND MINERAL MAP OF MADHYA PRADESH



जिला गुना- तहसीलवार अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना में मुख्यतः गौण खनिज निक्षेप पाये जाते हैं जिसमें खनिज रेत, गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर, मिट्टी, मुरुम तथा फर्शीपत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।


03- गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)

मध्यप्रदेश के गुना जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.	जिले की जानकारी	जिले का तथ्य
1.	जिले का नाम	गुना
2.	गठन	01 नवंबर, 1956
3.	ब्लॉक	गुना, बमोरी, आरोन, राघौगढ तथा चांचौडा
4.	तहसीलें	गुना, बमोरी, चांचौडा, कुंभराज, राघौगढ, आरोन, मक्सूदनगढ
5.	पड़ोसी जिलों के साथ सीमा	राजगढ, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी
6.	संभागीय कार्यालय	ग्वालियर
7.	जिले का क्षेत्रफल	6,390 वर्ग कि.मी.
8.	गाँव	1338
9.	भाषा	हिन्दी
10.	बोलियाँ	बुंदेली तथा सहरिया
11.	पुलिस स्टेशन	15
12.	जनसंख्या (2011)	12,41,519
13.	साक्षरता दर (2011)	63.23 प्रतिशत
14.	राज्यों के साथ सीमा	राजस्थान (झालावाड और बारां)
15.	भौगोलिक स्थिति	23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E अक्षांश-देशांतर
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग	एन.एच.-3
17.	मुख्य नदियाँ	पार्वती एवं सिंध
18.	विधानसभा सीट	गुना, बमोरी, चांचौडा, राघौगढ
19.	लोकसभा सीट	गुना (गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस निर्वाचन क्षेत्र)
20.	समुद्र तल से औसत ऊँचाई	474 मीटर (1555 फीट)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Bhopal, M.P.

04- जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)



Vindhyan Super Group के Rock Type, Upper Vindhyan Rock Types द्वारा दर्शित है, जिसके अंतर्गत Bhandar Group के शैल प्रकार सम्मिलित है। Neo Proterozoic काल

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Parvavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(90-57 करोड वर्ष) के Bhander Group में Ganurgarh Shale साथ में बालू पत्थर, Bhander Limestone व Lower Bhander Sandstone साथ में अंदर अनियमित शैल प्रकारो का समावेश है। यह जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में एवं डेक्कन ट्रैप के मध्य पाये जाते है। Vindhyan Super Group के Rock Types प्रमुखतः श्रेणीबद्ध शैल व बालू पत्थर के एकान्तरित क्रम में पाये जाते है।

Cretaceous काल (13.6-5 करोड वर्ष) के लमेटा समूह के शैल-प्रकार सिलिसियस चूना-पत्थर व अत्यधिक जीवाश्मयुक्त बालू-पत्थर से युक्त है जो जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में 08 से 25 कि.मी. सिरसी के दक्षिण-पूर्व में व्याप्त है। यह शैल प्रकार डेक्कन ट्रैप लावा-स्तरो के नीचे समतलीय अवस्था में विद्यमान है।

Cretaceous to Palaeogene काल (6.5-6 करोड वर्ष) के Deccan Trap के अंतर्गत मालवा समूह के Basaltic Lava Flows जिले के दक्षिणी, मध्य, कुछ उत्तरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी भागो में व्याप्त है। Deccan Trap Lava Flows के Base में Intertrappeans पाये जाते है, जिनका Occurrence, Lacustrine or Fluvialite Origin का है। इनके अंतर्गत जीवाश्मयुक्त चर्ट व जीवाश्म-विहीन चर्टी चूना-पत्थर है जो कि जिले के उत्तर-पश्चिमी दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी भाग में पाये जाते है। मालवा समूह के लावा स्तरो को कालीसिन्ध, कांकरिया-पीरुखेडी व इंदौर संरचना स्तरो में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह 14 बैसाल्ट लावा-स्तरो से युक्त है जो 'आ', 'पाहोहो' व मेगाक्रिस्ट प्रकृति के है। कालीसिन्ध संरचना स्तर पाँच 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तरो से युक्त है, जो नॉन-पॉरफिरिटिक से मध्यम पॉरफिरिटिक प्रकार के है। कांकरिया-पीरुखेडी संरचना स्तर चार 'आ' प्रकार बैसाल्ट लावा-स्तरो जो नॉन-पॉरफिरिटिक से कम पॉरफिरिटिक व एक मेगा-क्रिस्ट लावा-स्तर ऊपरी-मध्य भाग में तथा एक 'पाहोहो' लावास्तर आधार में पाया जाता है, नवीनतम इंदौर संरचना-स्तर मात्र एक 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तर से युक्त है जो अल्प से मध्यम पॉरफिरिटिक गुणो का है।


Cainozoic काल (7-0.1 से कम करोड वर्ष) के लेटेराइट बड़े बोलडरो या शिला-खण्डो व निक्षेपो रूप में विन्ध्यन उन्न भू-भाग व डेक्कन पठारो पर आच्छादित है जो जिले के मध्य व पश्चिमी भाग में व्याप्त है। लौहयुक्त लेटेराइट के निक्षेपो के स्तरो की मोटाई 1 से 5 मीटर है। चतुर्थकल्पीय काल (10 लाख वर्ष से कम) के जलोढक संकरी पट्टिकाओं तथा पृथक रूप से विकसित खण्डो के रूप में पार्वती नदी के किनारों पर जिले के दक्षिणी भाग में तथा पारोल के निकट जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में विद्यमान है। यह जलोढक पेंबल स्तर, ग्रेट, सिल्ट व बालू से युक्त है।

Geological Succession of District Guna

<u>Lithology</u>	<u>Stratigraphic Status</u>	<u>Age</u>
Alluvium (Sand, Silt)		Quaternary
Laterite		Cainozoic
'Aa', Compound 'Pahoehoe' And Basaltic Lava Flows (Malwa Group –Deccan Trap)	Indore Formation	Cretaceous to Palaeogene
	Kankariya Formation	
	Pirukheri Formation	
	Ranod Formation	
	Kali Sindh Formation	
	Karwa Formation	
	Unclassified Basaltic Lava Flows/Intertrappean (Limestone and Chert)	
Lameta Group	Siliceous Limestone & Fossiliferous Sandstone	Cretaceous
Vindhyan Super Group (Bhandar Group)	Lower Bhandar Sandstone	Neo Proterozoic (Late)
	Bhandar Limestone	
	Ganurgarh Shale	

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(S.E.A.A.)
Daryawan Parisar
E. P. Singh, Secretary


05- जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)



State Level Environment Impa-
Assessment Authority, M.P


Praveen Parisar

12/11/2019, Bhopal (M.P)



Land Use & Land Cover Classes of the District Guna

LULC Breakup of the District	% Area	Area (in Sq. km.)
Built-up Land	0.27682934	17.5014
Crop Land	58.63356896	3706.867
Deciduous Broadleaf Forest	22.68169229	1433.957
Fallow Land	6.762921755	427.558
Mixed Forest	4.961476347	313.669
Shrubland	5.331733651	337.077
Wasteland	0.102145018	6.4577
Water Bodies	1.209783474	76.4836
Plantation	0.039891871	2.522




जिला गुना के वन मण्डल का वन क्षेत्रफल कुल 180 वन खण्डो के अंतर्गत सम्मिलित होकर कुल 2214.67 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से आरक्षित वनो का क्षेत्रफल 774.60 वर्ग कि.मी. जिसमें 25 वन खण्ड सम्मिलित है तथा संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 1440.07 वर्ग कि.मी. जिसमें 155 वन खण्ड सम्मिलित है।

जिला गुना में तीन प्रकार का Forest Classification पाया जाता है-

1. Teak Forest
2. Mixed Forest
3. Bamboo Forest


जिला गुना में वनो की निम्नलिखित प्रजातियाँ पाई जाती है जैसे कि- Teak, Dhaora, Achar, Aonla, khair, Kaim, Tendu, Bija, Behera, Salai, Tinsa, Gurjan, Khai, Sal, Palas, Bamboo, Dhaoral, Lendia, Sajaj etc.



मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं-


1. काली मिट्टी
2. लाल-पीली मिट्टी
3. जलोढ मिट्टी
4. कछारी मिट्टी
5. मिश्रित मिट्टी

गुना जिले का भू-भाग, जलोढ मिट्टी एवं गहरे रंग की काली मिट्टी के आवरण वाला है, जिसे दोमट मिट्टी (Loamy Soil) भी कहा जाता है। यह मिट्टी उर्वरक एवं काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिल्ट, चिकनी मिट्टी एवं बालू का मिश्रण होता है जिसमें 40 प्रतिशत सिल्ट, 20 प्रतिशत चिकनी मिट्टी तथा 40 प्रतिशत बालू की मात्रा की उपस्थिति होती है, यह उक्त संरचना मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। इस मिट्टी के कणों में बहुत अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिस कारण यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रहती है और इसमें वायु संचार भली-भाँति होता है।




गुना जिले में काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर पाई जाने वाली डेक्कन ट्रेप बैसाल्टिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ है। इस मिट्टी के रसायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अलावा लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला हो जाता है। पानी पडने पर ये मिट्टी चिपकती है और सूखने पर इनमें बड़ी-बड़ी दरारें पड जाती है, जिससे मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती है।

गुना जिले के आरोन एवं चांचौडा ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी (Clay Soil) भी पाई जाती है, इस मिट्टी के कण बहुत ही महीन होते हैं और पास-पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता कम होती है तथा Air Spaces कम होने के कारण वायु संचार नहीं होता है, जिस कारण यह मिट्टी अधिक उर्वरक नहीं होती है।




जिला गुना Seismic Activity Zone के Low Damage Risk Zone के अंतर्गत आता है।

06- जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface Water & Ground Water Scenario in the District)



जिला गुना में मुख्य रूप से दो नदियाँ - पार्वती और सिंध प्रवाहित होती है, इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ पुरेती, बर्री, अंधेरी तथा कुन्नु नदियाँ प्रवाहित होकर जिले में भौगोलिक रूप से Dendric Pattern का निर्माण करती है।

State Level Environment Impacts
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Dr. Arun Kumar Singh, Director
E-2, Arun Kumar Singh, Director (M.P.)




जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। जल के उपयोगों में शामिल हैं- कृषि, औद्योगिक, घरेलु और पर्यावरणीय गतिविधियाँ। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है।

जल संसाधन के प्रकार :

1. सतही जल संसाधन
2. भूमिगत जल संसाधन

जिला गुना, जल संसाधन के मामले में अच्छी स्थिति में है। यहाँ मुख्य रूप से दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं - पार्वती एवं सिंध तथा इनकी सहायक नदियों के रूप में कनू, अंधेरी, पूरेती एवं बर्वी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके आलावा जल स्रोतों के रूप में मानव निर्मित तालाब एवं बांध मौजूद हैं।




Lithology of Groundwater Potential Zone of District Guna

Ground Water Potential Zone	Lithology
Fairly Good	Bhander Sandstone
Good	Limestone
	Laterite
	Deccan Trap
Low	Alluvium


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



जिला गुना को छः Watershed में बांटा गया है जिसका Interpretation निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Watershed	Area (in Sq. Km.)
1	Parvati River	2917 Sqkm
2	Sindh River	1129 Sqkm
3	Kunu River	596 Sqkm
4	Barri River	678 Sqkm
5	Pureti River	513 Sqkm
6	Andheri River	556 Sqkm



चम्बल बेसिन - चम्बल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो विन्ध्यन पठार के उत्तरी पश्चिमी लोब तथा अरावली पर्वत के मध्य जलोढ़ संरचना से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रदेश को चम्बल बेसिन का नाम दिया जाता है। चम्बल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे - सिंध और पार्वती कोटा में एक त्रिकोणमयी बेसिन का निर्माण करती हैं।


यमुना बेसिन - यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री (उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढ़वाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, सेंगर, सिन्ध, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं।

Parvati Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
E-5, Atria Colony, Bhopal (M.P.)

07- जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Rainfall & Climate Condition in the District)

Rainfall in Guna District (Data as per Ground Water Year Book – CGWB)

Year	Monsoon Rainfall	Normal Rainfall	Departure from Normal Monsoon Rainfall (%)	Category
2017-18	631.4	879.4	-28	Deficit
2018-19	907.8	943	-4	Normal
2019-20	1557.2	888.1	75	Large Excess
2020-21	847	888.1	-5	Normal
2021-22	1633.2	888.1	84	Large Excess



जिला गुना में मानसून का मौसम जुलाई से प्रारंभ होता है, इस दौरान यहाँ नियमित वर्षा होती है। जिला गुना सर्दी में अत्याधिक ठंडा रहता है। सर्दी का मौसम नवम्बर से फरवरी तक रहता है। दिसम्बर और जनवरी में यहाँ रात का तापमान कभी-कभी 5 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है जबकि उच्चतम तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेन्टीग्रेड के आस-पास रहता है। दिसम्बर-जनवरी माह में जिले में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है जिसके साथ-साथ कोहरा भी पड़ता है। उसी समय उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवायें जिले को असामान्य रूप से ठण्डा करती हैं।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

08- प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टे का ब्यौरा (Detail of the Mining Leases in the District as per the Following Format)

क्र	खाने का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या	खनन पट्टा अनुदान आदेश संख्या एवं तारीख	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	सर्वे नं.	खनन पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खनन पट्टे की अवधि (प्रारंभिक)		खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख	प्रास्थिति (कार्यशील / गैर-कार्यशील पारंपरिक आदि के लिये स्थायी रूप से कार्यशील)	कोस्टिव / गैर-कोस्टिव	पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम (हॉ/नहीं) यदि हाँ तो पर्यावरण अनुदत्त करने की तारीख सहित पत्र संख्या	खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांतर)	खनन की विधि (खुली / मृगित)	पेड़ / पौधों की प्रजाति या
									स	तक							
1	मुरुम	शलेन्द्र चौधरी निवासी-गुना	942518019 9	1052 दिनांक 23.06. 16	ग्राम जगनपुर र	गुना	सर्वे नं. 39/1/क	रकबा 2000 हे.	23.06. 2016	से	तक से	22.06. 2026	गैर-कोस्टिव	प.क्र. 1114 3 दिनांक 09.02. 16	24°37'37.0 0"N 77°18'20.0" E 24°36'55.5" N 77°18'19.3" E 24°36'56.1" N 77°18'16.3" E 24°37'01.7" N 77°18'17.9" E	(खुली)	3 यूके लिट स 6 शीशम .3 नीम
2	मुरुम	अशोक जाट निवासी-रजुमा न कालोती गुना	942518019 9	538-39 दिनांक 08.01. 19	ग्राम सिंगवा सा	गुना	सर्वे नं. 377/9	रकबा 2000 हे.	19.06. 2019	से	तक से	18.06.	गैर-कोस्टिव	प.क्र. 784 दिनांक 22.05. 19	24°38'36.8 4"N 77°21'59.0 3"E 24°38'36.7 6"N	(खुली)	3 यूके लिट स 4 शीशम .3 नीम

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(P. No.)
Parliamentary Region

क्र.सं.	मूकम	जगमीत सिंह निवासी-कैन्ट. गुना	877033544 77	3950 दिनांक 14.01. 19	ग्राम मावन	गुना	सर्वे नं. 679/1	रकबा 2000 हे.	19.06. 2019 से 18.06. 2029	-	23.07.19	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 476 दिनांक 22.05. 19	77°22'45.5 5"E 24°38'41.0 7"N 77°22'4.50" E 24°38'41.0 5"N 77°21'57.9 7"E		(खुली)	1 2	3 यूके लिट स 6 शीशम , 3 नीम
															2029				
3	मूकम	जगमीत सिंह निवासी-कैन्ट. गुना	877033544 77	3950 दिनांक 14.01. 19	ग्राम मावन	गुना	सर्वे नं. 679/1	रकबा 2000 हे.	19.06. 2019 से 18.06. 2029	-	23.07.19	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 476 दिनांक 22.05. 19	77°22'45.5 5"E 24°38'41.0 7"N 77°22'4.50" E 24°38'41.0 5"N 77°21'57.9 7"E		(खुली)	1 2	3 यूके लिट स 6 शीशम , 3 नीम
4	मूकम	धमैन्द्र सिंह जाट. निवासी-गुना	797419390 5	7697-9 8 दिनांक 31.05. 19	ग्राम सकतपुर र	गुना	सर्वे नं. 8/1/मिन -1	रकबा 1000 हे.	25.01. 2020 से 24.01. 2030	-	25.01.20	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 1519 दिनांक 03.07. 19	24°41'04.1 0"N 77°17'42.6 0"E 24°41'07.2 0"N 77°17'47.8 0"E 24°41'05.2 0"N 77°17'41.9 0"E 24°41'09.1 0"N 77°17'47.5 0"E		(खुली)	1 0	3 यूके लिट स 4 शीशम , 3 नीम
5	मूकम	प्रफुल्ल चौरसिया निवासी-गुना	797419901 8	7694-9 5 दिनांक 31.05. 19	ग्राम सकतपुर र	गुना	सर्वे नं. 8/1/मिन -1	रकबा 1000 हे.	25.01. 2020 से	-	25.01.20	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 1464 दिनांक 03.07.	24°41'12.1 0"N 77°17'47.5 0"E		(खुली)	1 2	3 यूके लिट स 6


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SPEAA)
Darvoharan Parasir
B-5, A Bha Saha, Bhopal (M.P.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

24.01.2030										24.01.2030 से	रकबा 2,000 हे.	सर्वे नं. 13	गुना	ग्राम गणेशपुरा	3379 दिनांक 24.01.20	942518019 9	नवीन सिंह चौधरी निवासी- गुना झारा हरिसिंह जाट	मुरूम	6	6/7/2021	कार्यशील	गैर-कॉस्टिव	प.क्र. 3975 दिनांक 14.01.19	24°41'27.5 0"N 77°17'59.8 0"E 24°41'26.1 0"N 77°17'37.3 0"E 24°41'20.5 0"N 77°17'41.8 0"E 24°41'18.5 0"N 77°17'40.1 0"E	24°41'06.4 0"N 77°17'41.0 0"E 24°41'05.2 0"N 77°17'41.9 0"E 24°41'09.1 0"N 77°17'41.5 0"E	19	(खुली)	1 2	3 यूके लिट स 6 शीशम . 3 नीम
24.02.2030										24.02.2020 से 23.02.2030	रकबा 4,000 हे.	सर्वे नं. 679/1	गुना	ग्राम मावन	15414-15 दिनांक 29.09.18	942518019 9	शैलेन्द्र चौधरी निवासी- गुना	मुरूम	7	24.02.20	कार्यशील	गैर-कॉस्टिव	प.क्र. 1513 दिनांक 03.07.19	24°38'14.2 0"N 77°22'37.6 0"E 24°38'11.5 0"N 77°22'39.6 0"E 24°38'14.2 0"N 77°22'34.8 0"E 24°38'10.8 0"N 77°22'35.5 0"E 24°38'12.1 0"N 77°22'36.7 0"E	1 0	(खुली)	1 0	3 यूके लिट स 4 शीशम . 3 नीम	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

8	मुरुम	मनीष सिंह राजपूत निवासी- कस्तूरबा नगर गुना	661-62 दिनांक 17.01. 20	ग्राम सकतपुर रा	गुना	सर्वे नं. 8/1/मिन -1	रकबा 2000 हे.	18.06 2020 से 17.06 2030	-	-	19.10.20	कार्यशी ल	मैर- कैटिव	प.क्र. 4340 दिनांक 11.02. 20	24°41'14.0 5"N 77°17'35.9 0"E 24°41'17.0 2"N 77°17'37.9 9"E 24°41'17.5 3"N 77°17'44.4 7"E 24°41'14.2 5"N 77°17'44.4 5"E	(खुली)	1 0	3 युके लिफ्ट स 4 शीशम , 3 नीम
9	मुरुम	मयंक शर्मा पुत्र गिरधारी लाल शर्मा निवासी-नजूल कालोनी गुना	402 दिनांक 11.11. 20	ग्राम गणेशपुर रा	गुना	सर्वे नं. 13	रकबा 2000 हे.	26.12 2020 से 25.12. 2030	-	-	22.02.21	कार्यशी ल	मैर- कैटिव	प.क्र. 3702 दिनांक 16.10. 20	24°41'36.6 2"N 77°17'37.5 5"E 24°41'41.1 7"N 77°17'37.6 1"E 24°41'43.2 7"N 77°17'41.0 6"E 24°41'36.6 5"N 77°17'41.0 8"E	(खुली)	1 0	3 युके लिफ्ट स 4 शीशम , 3 नीम


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Barywanan Pansar
 C-5, Amraoti, Jabalpur (M.P.)

09- विगत तीन वर्षों के राजस्व का ब्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)

मध्यप्रदेश शासन को जिला गुना से विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 करोड राजस्व की प्राप्ति हुई है, अतः खनिज उपलब्धता के दृष्टिकोण से जिला गुना मध्यप्रदेश राज्य का गौण खनिज उपलब्धता वाला एक महत्वपूर्ण जिला है।


स.क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (रुपयो में)
1.	2019-20	7,35,75,664/-
2.	2020-21	8,95,63,060/-
3.	2021-22	16,22,55,735/-

10- विगत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा (Production Details of Last Three Years)

वित्तीय वर्ष	खनिज	उत्पादन (घ.मी. में)
2019-20	मुरुम	16,506
2020-21	मुरुम	24,830
2021-22	मुरुम	29,594

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

11- जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)



संकेतिकावली

— नदी/खोराब

— राजमार्ग

— तहसील की सीमा

— ग्राम

— तालुक की सीमा

— जिला की सीमा

संरचनात्मक तालिका

— नदी/खोराब

— राजमार्ग

— तहसील की सीमा

— ग्राम

— तालुक की सीमा

— जिला की सीमा

उदाहरण

	खेती योग्य भूमि
	वन
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा
	खेती योग्य भूमि का एक हिस्सा

EXPLANATION

Symbol	Description
	Yellow box
	Green box
	Dark green box
	Light green box
	Blue box
	Orange box
	Red box
	Purple box
	Brown box
	Grey box
	Black box
	Blue line
	Red line
	Black line
	Dotted line
	Circle
	Square

State Level Environment Impact Assessment Authority M.P. (EPCO)
 Rajesh Kumar Prasad
 E-5, Arda Talwar, Bhopal (M.P.)

12- जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)

जिला गुना, मध्यप्रदेश में गौण खनिज दोहन हेतु एक महत्वपूर्ण जिला है। जिसमें खनिज रेत, गिट्टी हेतु पत्थर, मुरुम, फर्सी पत्थर, खण्डा-बोल्डर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

जिला गुना में गौण खनिजों में खनिज रेत की 23 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर खनिज की कुल 44 खदानें एवं मुरुम खनिज की 09 खदानें स्वीकृत हैं।

13- जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)

जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड की गुणवत्ता अच्छी है। उक्त कारणों से ही जिले में उत्खनिपट्टों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है।

14- जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Use of Available Minerals in the District)

जिला गुना में मिलने वाले गौण खनिज जैसे कि- खनिज रेत, खनिज पत्थर क्रेशर (गिट्टी) एवं खनिज मुरुम का उपयोग सामान्यतः निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है।


15- जिले में विगत वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)

विगत वर्षों में जिले की जनसंख्या में जैसे-जैसे वृद्धि होती गई, उसी प्रकार अन्य उपलब्ध मानव संसाधनों की तरह ही खनिज संसाधन की मांग एवं आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। जिला गुना में विगत 05 वर्षों में निर्माण कार्यों में वृद्धि होने के कारण गौण खनिज रेत, पत्थर क्रेशर (गिट्टी) व मुरुम की मांग में वृद्धि हुई है, जिसकी आपूर्ति हेतु जिला स्तर पर उत्खनिपट्टों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि हुई है।


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Paryavaran Pariser
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

16- जिले के मानचित्र पर चिन्हांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)

जिला गुना में गौण खनिज मुरुम की 09 खदाने स्वीकृत होकर संचालित हैं।



[Handwritten Signature]
 State Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
 Paryatan Parisar
 B-7, Anand Bhawan, New Delhi (M.P.)

17- जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)

जिला गुना के गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों की सूची


क्र.	नाम/पता	उल्लेखित क्षेत्र का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1.	राजवीर सिंह रघुवंशी निवासी-वार्ड क्र. 10 गुलाब गंज आरोन	ग्राम बारोद, तहसील आरोन, सर्वे नं. 65/1 मिन-2, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
2.	मैसर्स सुपरटेक कांक्रिट प्रोडक्ट निवासी-गुना	ग्राम बजरंगगढ तहसील गुना, सर्वे नं. 493 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
3.	राजकुमार पुत्र नानजीराम लोधी निवासी-ग्राम खंड़ी, सुठालिया, जिला-राजगढ	ग्राम तेलीगांव तहसील-चांचौडा सर्वे नं. 170/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
4.	अपूर्वा दीक्षित पत्नि विकास दीक्षित निवासी-ऑफिसर कालोनी कैन्ट, गुना	ग्राम विनायकखेड़ी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 62/4 रकबा 1.000 हे.	निजी
5.	मोहनराज मीना पुत्र बिट्टलदास मीना निवासी-ग्राम नया डुबेला कालोनी बमोरी	ग्राम हरिपुर तहसील-गुना सर्वे नं. 473/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
6.	अनिरुद्ध मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना निवासी-ग्राम भैसुआ, तह.चांचौडा	ग्राम भैसुआ तहसील-चांचौडा, सर्वे नं. 360/1/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
7.	धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम वनवीरखेड़ी तहसील-आरोन सर्वे नं. 349/1/मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
8.	राजीव रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम खामखेडा तहसील- आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 4.000 हे.	शासकीय
9.	अरविन्द धाकड निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम हजरतपुर सर्वे नं. 31/1, 31/2, 36 रकबा 2.700 हे.	निजी
10.	शिवराज यादव पुत्र वनवीर यादव निवासी-ग्राम जामनेर, जिला-गुना	ग्राम मोतीपुर, तहसील- मक्सूदनगढ सर्वे नं. 170/5, 170/6 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
11.	विशाल रघुवंशी निवासी-ग्राम खामखेडा, आरोन	ग्राम खामखेडा, तहसील-आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 1.000 हे.	शासकीय
12.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम गुर्जरखेड़ी तह. कुंभराज, सर्वे नं. 119/1 रकबा 1.500 हे.	शासकीय

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)


Parvatan Pariser
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

13.	फूलबाई पुत्र ज्ञानसिंह निवासी-म्यापुर, तहसील-शादौरा	ग्राम खामखेडा, तहसील- आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 5.000 हे.	शासकीय
14.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम नेत्याखेडी, तहसील चांचौडा, सर्वे नं. 38/1 रकबा 1.000 हे.	शासकीय
15.	रानी आदिवासी पत्नि तुलसीराम निवासी-ग्राम धानोरा, जिला-सागर	ग्राम खामखेडा, तहसील आरोन, सर्वे नं. 136/2/क रकबा 6.000 हे.	शासकीय
16.	भगवान सिंह मीना निवासी-इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं. 04, कुंभराज	ग्राम-कुंभराज, तहसील-कुंभराज, सर्वे नं. 551/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
17.	सत्येन्द्र जैन निवासी-आकाश वाणी, कॉलेज रोड, गुना	ग्राम डुंगासरा, तहसील-गुना, सर्वे नं. 104/1/ख रकबा 2.000 हे.	शासकीय
18.	हरपाल गिल निवासी-भगत सिंह कालोनी, गुना	ग्राम नेगमा, तहसील गुना, सर्वे नं.238/1/2 मिन-6 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
19.	भगवान सिंह मीना निवासी-कुंभराज	ग्राम कुंभराज, तहसील कुंभराज, सर्वे नं. 551/2 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
20.	राजा रघुवंशी निवासी-मूडराखुर्द, आरोन	ग्राम वनवीरखेडी, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 349/1 मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
21.	शेखर वशिष्ठ निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील-गुना सर्वे नं. 173/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
22.	प्रभाकर सैंगर पुत्र देव सिंह सैंगर निवासी- फेंडस कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील गुना, सर्वे नं. 13, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
23.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम बजरंगगढ, तहसील गुना, सर्वे नं. 1019(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
24.	राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम मकरावदा, तहसील गुना, सर्वे नं. 49/1/11(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
25.	जगदीश गुर्जर निवासी-जरकियाखेडी, तह.व्यावरा जिला-राजगढ	ग्राम पाखरियापुरा, तहसील चांचौडा, सर्वे नं. 27/11(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
26.	लोकेन्द्र गुप्ता निवासी-कुंभराज, जिला-गुना	ग्राम खेजडारामा, तहसील कुंभराज, सर्वे नं. 743/1/7/1(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
27.	रामजीलाल धाकड निवासी- गुना	ग्राम-रानीगंज तहसील-गुना, सर्वे नं. 112/4(एस)	शासकीय

		रकबा 4.000 हे.	
28.	हरिसिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-पिपरौदाखुर्द, तहसील-गुना, सर्वे नं.61(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
29.	सुनील सिंह भदौरिया निवासी-दुर्गा कालोनी, गुना	ग्राम-उमरी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 105/1/1 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
30.	राजेश शर्मा निवासी-कृष्ण बिहार, ग्वालियर	ग्राम-मूडरामाता, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 3/1/1/1 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
31.	विनोद कुमार लाहोटी, निवासी- राघौगढ	ग्राम अल्लीपुरा, तहसील-राघौगढ, सर्वे नं. 53/27/1, 53/26/3, 53/28 रकबा 2.000 हे.	निजी
32.	अविनाश कलावत निवासी-गुलाब गंज, कैन्ट, गुना	ग्राम -रानीगंज, तहसील गुना, सर्वे नं. 112/4, रकबा 3.000 हे.	शासकीय
33.	सादिक मोहम्मद निवासी- मक्सूदनगढ	ग्राम कोलारस तहसील-मक्सूदनगढ सर्वे नं. 301/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
34.	मैसर्स व्ही.व्ही.सी.प्रा.लि. राघौगढ निवासी-राघौगढ	ग्राम ढाढोन्या, तहसील-मक्सूदनगढ, सर्वे नं. 184/1, रकबा 2.750 हे.	शासकीय
35.	अनिल नायक पुत्र श्री गिरजाशंकर नायक निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम-चैनपुरा, तहसील-राघौगढ, सर्वे नं. 84, रकबा 3.000 हे.	शासकीय
36.	विनोद नायक पुत्र श्री जी.एस.नायक निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-लाडपुरा, तहसील-राघौगढ, सर्वे नं. 32/07, रकबा 4.000 हे.	शासकीय
37.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी गुना	ग्राम-श्यामपुर तहसील-बमौरी सर्वे नं. 49/1/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
38.	ईवान्शु अग्रवाल निवासी-डोवरा	ग्राम-डोवरा तहसील बमौरी सर्वे नं. 16/2 रकबा 2.000 हे.	निजी



 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Parvatan Pariser
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

18- गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृतिक शीर्ष एवं ढलान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Guna District)




भू-आकृतिक रूप से जिले का अधिकांश भू-भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के Low Level Plateaus, व Plains तथा नदियों द्वारा विकसित Terrace/Rocky Benches, Flood Plains को दर्शाता है। अन्य भू-आकृतिक इकाइयों के रूप में पूर्वोत्तर भाग में प्रोटिरोजोइक शैल-प्रकारों से विकसित संरचनात्मक पठार व मैदान तथा पूर्वी भाग में प्रोटिरोजोइक काल के Sedimentary Rocks से विकसित संरचनात्मक सोपान व Pediments-Pediaplains विद्यमान हैं।

जिले का भू-भाग वृहद गंगा द्रोणी के अंतर्गत चम्बल, सिन्ध व बेतवा उप-द्रोणीयो का भाग है। पार्वती व सिन्ध तथा इनकी सहायक नदियाँ जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती हैं।




जिले में अधिकतम व न्यूनतम ऊँचाई के स्थान समुद्र तल से 553.70 मी. व 303.60 मी. ऊपर क्रमशः दक्षिणी भाग में आरोन के 09 कि.मी. दक्षिण में तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाडोन के 21 कि.मी. द. द. प. में स्थित है।



Topography का Digital Representation ही Digital Elevation Model (DEM) कहलाता है। जिला गुना का Lowest Elevation 303.60 Meter तथा Highest Elevation 553.70 Meter है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(E.P.O.)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Slope, Landscape Features के मौलिक रूप को दर्शाता है, जो कि इन Features की Hydrological Engineering व Environmental Aspects के लिए महत्वपूर्ण है। जिला गुना का Slope Classification निम्नानुसार है-

Classification of Slope Percentage

Slope (%)	Slope Classification
0-3	Flat or Almost Flat
3-5	Gently Sloping
5-15	Sloping
15-30	Moderately Steep
More than 30	Very Steep

Digitized by
 Survey of India
 Regional Office, Jaipur
 Digitized by
 Survey of India
 Regional Office, Jaipur

19- पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जैव विविधता का नुकसान या मिट्टी, भूजल और सतही जल का दूषित होना होता है।

1. **वायु-** खनन गतिविधियों जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपर की मिट्टी को हटाना और मुरम की सामग्री के निष्कर्षण से हवा में बड़ी मात्रा में धूल निकल सकती है। इसी तरह बड़े वाहनों में बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के खनिजों की आवाजाही वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है।

2. **पानी** - खनन का आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

3. **शोर** - खनन गतिविधियाँ जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपरी मिट्टी को हटाना और भारी मशीनरी और क्रशिंग प्लांट के माध्यम से मुरम की सामग्री का निष्कर्षण आसपास के क्षेत्रों में भारी शोर पैदा करता है।

4. **मिट्टी** - फ्लैगस्टोन और बोल्टर खानों के मामले में खनन गतिविधियों के कारण चट्टानों की आवाजाही और अधिक बोझ की आवाजाही। मिट्टी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूमि के क्षरण का कारण बनता है।

5. **वनस्पति और जीव** - खनन गतिविधियाँ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी-कभी खनिज निकालने से पहले बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार नदियों में भारी बालू खनन से जलीय जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है।

6. **भूमि उपयोग, कृषि और वन** - एक खनन गतिविधि भूमि उपयोग पैटर्न क्षेत्र उदाहरण के लिए पहाड़ और पहाड़ियों से खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की सुंदरता को कम कर सकती है, कृषि भूमि निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण बंजर भूमि में बदल

जाती है। वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि के कारण जंगल का बड़ा क्षेत्र कट जाता है जिससे क्षेत्र में वनों की कटाई होती है।

20- पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)

जिला गुना न्यूनतम पर्यावरण संघात वाला जिला है, उक्त संघात के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पट्टाधारियों व उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में पर्यावरण संचेतना एवं जागरूकता लाये जाने से संबंधित उपाय किये जाकर पर्यावरण संघात को नगण्य किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त अन्य उपाय-

- खनन गतिविधिया मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बनाये गये इन नियम अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिये जो कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम 2019, सरटेनेबल रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020, के मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति बनाए रखे।
- पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1974 और वायु जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों और शर्तों का पालन करके किसी भी पट्टेदार द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित विशिष्ट और मानक स्थिति का पालन कर के।
- खनन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि खनन गतिविधि का लैकल पर्यावरण पर प्रभाव कम हो सके।
- उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जहां क्रशिंग इकाइयां स्थापित हैं, पट्टा क्षेत्र और पहुंच सड़कों पर पानी के लगातार छिड़काव से कम किया जा सकता है। स्टोन क्रशिंग यूनिट में वाटर स्पिंकलर, विंड ब्रेकिंग वॉल, जीआई शीट-शेड लगाए जाने चाहिए।


Environmental Impact
Assessment Authority, M.P.
(EIAA)
Parity, Bilaspur
E-5, Arera Colony, Bilaspur (M.P.)

- खदान क्षेत्रों में और उसके आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न कचरे को उचित रूप से डंप किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को श्वसन यंत्र, एन-95 मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को इयर प्लग प्रदान किया जाना चाहिए।
- इस बात की बार-बार निगरानी की जानी चाहिए कि नदी के तल में रेत के खनन से नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता है। यह जल संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है।
- सभी मशीनरी सिस्टम उपकरण स्थापित एक अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
- खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार करने के लिए 10 मीटर की हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान और अनुमतियों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

21- खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)

यदि उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो खनन कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनन संचालन के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफाइल स्पष्ट रूप से बदल जाएगी और खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का परिमाण और महत्व उपलब्ध खनिजों के प्रकार, खनन और प्रसंस्करण की विधि आदि पर निर्भर करता है।

खनन के बाद खनन की गई, भूमि का पुनर्बुद्धार और पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। पुनर्ग्रहण और भूमि के लिए खनन गतिविधि, खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए ताकि खनन सुधार किया जा सके।


 Director, Environmental Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Parvati Nagar, Pariser
 -2, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अधिकांश खदानों में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, खदानों का पुनर्ग्रहण अपशिष्ट चट्टान या ओवर बर्डन को खदान में वापस भरकर किया जा सकता है, हालांकि खदान सुधार योजना में निम्नलिखित चरण होने चाहिए-

1. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन का भंडारण और संरक्षण।
2. खनन के दौरान और उसके अंत में, खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव।
3. डम्पो का स्थिरीकरण।
4. खनिज पदार्थ के ढेर के लिए डंपिंग ग्राउंड तैयार करना।

22- जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)

जिला गुना में संचालित अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण समग्र रूप से सुनिश्चित किया गया है। हरित पट्टी विकास किये जाने सम्बन्ध में उपागम प्राथमिकता स्तर पर प्रक्रियारत हैं, जिसके अग्रेत्तर वर्षा अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

वृक्ष, वायु प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, और इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करके हम जैव-सौंदर्य शास्त्र के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका शमन भी कर सकते हैं। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषित कणों को रोकने वाले पेड़, और प्रदूषण को सहन करने वाले पेड़ और उनके प्रकारों पर उचित योजना और वृक्षारोपण निर्भर करता है।

पेड़ पौधे सदैव हरे भरे, पड़े पत्ते वाले, साथ ही खुरदुरे तने वाले और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र के साथ सक्षम होना चाहिए। ऐसे पेड़ लगाये जाना चाहिए जो कि कम पानी का उपयोग करते हो, कम देखभाल वाले, प्रदूषण को शोषित करने में सक्षम, प्रदूषण राकने वाले, पर्यावरण के अनुकूल, तेजी से बढ़ने वाले, और तेज हवा में न टूटने वाले होने चाहिए। पेड़ों की प्रजातिया मिट्टी, स्थालाकृति, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(E.A.A.)
Aryavaran Purisar
E-5, Areta Colony, Bhopal (M.P.)

कम से कम दो पंक्तियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के स्तर हो ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके।

वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास के लिये वृक्षों व प्रजातियों की जानकारी-

S. No.	Botanical Name	Family	Common Name
1.	Tamarindus indica (Linn)	Caesalpiaceae	Imli
2.	Anogeissus pendula	Combrataceae	Kardhai
3.	siras Albizia lebbek	Leguminosae (Mimoseae)	Kala
4.	Azadirachta indica	Meliaceae	Neem
5.	Butea monosperma	Leguminosae (papilionaceae)	Palas
6.	Ficus infectoria	Moraceae	Pakar
7.	Stereospermum suaveolens	Bignoniaceae	Padar
8.	Salmalia malabarica, Bombaxcieba	Malvaceae	Semal
9.	Madhuca indica	Sapotaceae	Mahua
10.	Delbergia latifolia, Roxb	Leguminosae (Papilionaceae)	Shisham
11.	Lannea coromandalica	Anacardiaceae	Kankar
12.	Diospyros melanoxeon	Ebenaceae	Tendu
13.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	Dhavda
14.	Zizyphus jujube	Rhamnaceae	Ber
15.	Cassia fistula	Leguminosae (Caesalpiaceae)	Amaltash
16.	Syzygium cuimini	Myrataceae	Jamun
17.	Acacia karoo	Fabaceae	Keekar
18.	Buchanania lanzan (spreg)	Anacardiaceae	Achar
19.	Mangifera indica (Linn)	Anacardiaceae	Aam
20.	Emblica officinalis	Euphorbiaceae	Awla

प्रस्तावित परियोजना, बैरियर जोन के बिना मायनिंग वाले क्षेत्रों में, एपरोच रोड़, नदी किनारों के आसपास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।




Level Estimation & Local
Assessment Authority, M.P.
(E.C.C.)

Paryavaran Pariser
T-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



State-Level Environment Impact
Assessment Authority, M. P. P.
(EIA/EMP)
Parbhani, Parbhani
C-5, Ardhya Colony, Parbhani (M.P.)





महोदय, जिला सर्वेक्षण विभाग,
जिला मुख्यालय, MP
जिला मुख्यालय, MP
जिला मुख्यालय, MP

23- जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)

ओपन कास्ट विधि में धूल मुख्य प्रदूषक है। खनिज साइट पर, उत्खनन और लोडिंग गतिविधि के दौरान, उत्पन्न धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओपन कास्ट माइनिंग के कारण उत्पन्न व्यावसायिक खतरे मुख्य रूप से भौतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं।

संभावित शारीरिक खतरे, इस प्रकार हैं -

खनन कार्यों के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की गई -

प्रकाश - श्रमिकों को खराब रोशनी या अत्यधिक चमक के जोखिम से अवगत कराया जा सकता है।

प्रभाव - आंखों में खिंचाव, सिरदर्द, आंखों में दर्द और लैक्रिमेशन, कार्निआ के आसपास जमाव और आंखों की थकान। वर्तमान समय में, खनन गतिविधि केवल दिन के समय की जाती है।

गर्मी और आर्द्रता - सबसे आम शारीरिक खतरा गर्मी है। गर्मी का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, शरीर में जलन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं- दक्षता में कमी, थकान में वृद्धि और दुर्घटना दर में वृद्धि। गर्मी में, तापमान और हवा के तापमान में वृद्धि होने पर गर्म और आर्द्र स्थिति का सामना करना पड़ता है। नदी तल खनन क्षेत्र में गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकता है।

आंखों में जलन - गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण उड़ने वाली धूल-मिट्टी से आँखों में खुजली और आँखों में पानी आने की समस्या हो सकती है।

श्वसन संबंधी समस्याएं - हवा में बड़ी मात्रा में धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। जिस से श्वसन संबंधी विकार जैसे- अस्थमा व फेफड़ों और ब्रॉन्कियल मार्ग में जलन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

शोर प्रेरित बहरापन - खदान में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत मशीनरी है, जिस से बहरेपन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

24- जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Managment)

खनन कार्यों में संभावित जोखिमों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, भंडारण और संचालन, मानवीय त्रुटियों, बिजली की विफलता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना के संचालन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में चर्चा करती है। यह पहचाने गए संभावित खतरे के लिए विभिन्न दुर्घटना परिदृश्यों की गणना की आवृत्तियों को भी प्रस्तुत करता है। इनमें विनाशकारी घटनाएं या पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और तकनीकी कारणों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। सामग्री के परिवहन के दौरान, ईंधन/हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के प्रज्वलन से बड़े वाहनों में आग लग जाती है।

संरचनात्मक विफलता :-

खदान में डंप, बेंच/पिट ढलानों की अस्थिरता, जो चोट और मृत्यु का कारण बन सकती है।

जोखिम के लिए परिकल्पित परिदृश्य :-

कार्य का ज्ञान - जोखिम मूल्यांकन कार्य के सभी पहलुओं की पूरी समझ पर निर्भर करता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में जोखिम मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

व्यक्तिगत क्षमता - किसी भी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कार्य में शामिल कर्मियों का ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण समीक्षा शामिल होना चाहिए। एक जानकार, अनुभवी अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटनाओं के कम जोखिम पर होगा।

समन्वय - यह आवश्यक है कि समन्वयक, यह सुनिश्चित करे कि कार्य में लगे सभी लोग सक्षम हों और दूसरों की भूमिका और एक-दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझें।

खतरों की पहचान :-

तकनीकी खतरे - इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खतरों की व्याख्या हानिकारक धूल, गैसों और शोर के रूप में की जानी चाहिए, जो सतही खनन कार्यों के दौरान उत्सर्जित होती है। खनन कार्यों में शामिल अन्य खतरनाक कार्य जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित हैं।

शोर - खदान के वातावरण में शोर को एक सामान्य व्यावसायिक खतरा माना जाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से श्रवण तंत्रिकाओं और इसके संवेदी घटकों (शोर प्रेरित बहरापन) को स्थायी नुकसान हो सकता है। शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) से बचने के लिए, इन मशीनों के केबिनो को ध्वनिरोधी बनाया जाए। साथ ही, उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले आपरेटरों और अन्य श्रमिकों को उनकी सुरक्षा के लिए इयर प्लग/इयर मफ प्रदान किए जाए। किसी भी कर्मचारी को उचित सुरक्षा उपकरण पहने बिना, उच्च शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

सतह की आग - रेड ऑकर डिपाजिट में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं। हालांकि कोयला खदानों में लगे डंपरों में आग लग सकती है। अग्निरोधक पात्र को छोड़कर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाए। चार माह से अधिक समय तक रखे कोयले में स्वतः ज्वलन क्रिया होने लगती है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर या उसके पास कोई प्रकाश या दीपक नहीं रखेगा और न ही उसे फेंकने देगा। एमएमआर 1961 के विनियम 121 के अनुसार खदान के हर प्रवेश द्वार पर या हर जगह जहां ज्वलनशील सामग्री जमा है, रेत या ज्वलनशील धूल या पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

लोडिंग - खनिज का समस्त लदान, लोडर/उत्खनन के द्वारा किया जायेगा। हालांकि, श्रमिकों को लोडिंग कार्यों से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों पर सामग्री गिरने से बचा जा सके। इसके अलावा, लोडिंग मशीन आपरेटर को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए साइट पर्यवेक्षक द्वारा लोडिंग संचालन की निगरानी की जाती है।

गड्ढे ढलान विफलता - बेंच की विफलता से बचने के लिए खान बेंचों के किनारों को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा। बेंच की ऊंचाई से अधिक चौड़ाई के साथ 6 मीटर ऊंचाई रखने की योजना है। बेंच के किनारों और किनारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि विफलता, दरारों के विकास आदि के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण किया जा सके। किसी भी बेंच या गड्ढे ढलान की विफलता से बचने के लिए उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे।

भारी वाहन - खनिज और ओवरबर्डन के लदान और परिवहन में उचित सावधानी बरती जाएगी। ब्रेक फेल होने की संभावना को कम करने के लिए अच्छा रखरखाव और नियमित परीक्षण आवश्यक है। एक क्षेत्र को एक परीक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर नियमित परीक्षण किए जाते हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीई) - व्यक्तिगत सुरक्षा उपार्यों को लागू किया गया है।

यातायात - चूंकि उपयोग किए जाने वाले वाहन संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए यातायात की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का कोई खतरा नहीं है। तथापि, ढुलाई सड़कों का उचित रखरखाव किया जाएगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए खनिज परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों पर गति सीमा निहित होगी।

आपदा प्रबंधन योजना - पूर्ण खनन कार्य प्रबंधन नियंत्रण एवं योग्य खान प्रबंधक के निर्देशन में किया जायेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद ने खान प्रबंधन द्वारा पालन किए जाने वाले कई स्थायी आदेश, और परिपत्र जारी किए हैं। खदान के गड्ढे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रखरखाव। खनन पिट से पानी निकालने के लिए पम्पों की व्यवस्था। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खान कार्यालय परिसर एवं खनन क्षेत्र में अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखा जायेगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हेलमेट, काले चश्मे आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उपयोग की नियमित जांच की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण। चेहरों की नियमित सफाई। निर्माण के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खनन उपकरणों का

नियमित रखरखाव और परीक्षण। ढुलाई सड़कों पर धूल का दमन। प्रतियोगिताओं, पोस्टरों और इसी तरह के अन्य अभियान के माध्यम से सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संचार प्रणाली - विभाग प्रमुख और उनकी लाइन आफ कमांड के लिए एक आंतरिक संचार प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए। बचाव स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन सेवा स्टेशन, स्थानीय अस्पताल, बिजली आपूर्ति एजेंसी और स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और पते होना एक और आवश्यक पहलू है।

सलाहकार समिति - खान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं - खदान प्रबंधन के पास आपात स्थिति में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा है। सभी हताहतों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।

जनसंपर्क समूह के कार्य - सरकारी अधिकारियों और अन्य समाज सेवा संगठन के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा। किसी भी आपदा से उत्पन्न दहशत, तनाव, भावनाओं, शिकायतों और आशंकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए खनिकों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना।

अस्थायी बंद के दौरान देखभाल और रखरखाव - खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के दौरान किसी भी कारण से, नोटिस (एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 एमएमआर, 1961 के नियम 6 के अनुसार) आईबीएम और खान सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूचना के साथ एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 के अनुसार प्रपत्र संख्या डी-1 संलग्न किया जाएगा। देखभाल और रखरखाव के संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।


 Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCU)
 Parvatan Parisar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

गह्वों का संरक्षण - डीजीएमएस के परिपत्र के अनुसार पट्टे के खदान वाले हिस्से को स्थानीय भाषा में खतरे को प्रदर्शित करने वाले चेतावनी बोर्ड के साथ खुले गह्वे के चारों ओर फेंसिंग द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

क्षेत्र की सुरक्षा - स्थानीय भाषा में बिना अनुमति के परिसर में 'प्रवेश सख्त वर्जित है' शीर्षक के साथ प्रवेश पर एक बोर्ड प्रदर्शित करके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

रखरखाव और निगरानी - सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार रखरखाव किया जाएगा। सभी खनन मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किए गए वृक्षारोपण की देखभाल और रखरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा। खदान के किसी भी अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

आपात योजना - खदान में कहीं भी कुछ भी गंभीर होने का पता चलने पर, फोरमैन या साथी तुरंत निकटतम खनन अधिकारी और प्रबंधक को सूचित करेंगे। आपात स्थिति की सूचना मिलने पर शिफ्ट प्रभारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सामग्री और परिवहन व्यवस्था को तैयार रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा जाना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा निर्धारित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

काम करने वाले क्षेत्र का वैचारिक पुनर्वास - डंपिंग सामग्री के साथ अधिकतम संभव गहराई तक पहुंचने के बाद यानी सतह से अनुमेय गहराई और शेष क्षेत्र को जल भंडारण के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए अंतिम गह्वों के चारों ओर पर्याप्त रूप से मोटी बांध की दीवार का निर्माण किया जाएगा। बांध के चारों ओर पौधरोपण किया जाएगा। इस प्रकार, संकल्पनात्मक स्तर पर उत्पन्न सभी कचरे को तैयार किए गए गह्वे में पूरी तरह से वापस भर दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा - आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य खनन गतिविधि के दौरान अप्रत्याशित, अचानक हुई घटना के कारण खनन कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिससे श्रमिकों या किसी मशीनरी या

पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। खनन परियोजना में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं।

- खदान में काम करने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए।
- खनन कार्यों के दौरान चोट की घटनाओं और गंभीरता को रोकने या कम करने के लिए।
- गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देना।

किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जीवन की अत्यधिक हानि का कारण बनती है, और संपत्ति और आसपास के वातावरण को भी इस हद तक नुकसान पहुंचाती है कि, समाज के लिए उपलब्ध सामान्य सामाजिक और आर्थिक तंत्र गड़बड़ा जाता है। भारत सरकार ने देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, व्यापक और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना और आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के साथ सामने आया।

मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) का यह भी मानना है कि, हर जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी दृष्टि और रणनीति को स्पष्ट करे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा, डीएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी, कामकाज और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का दायरा बहुत व्यापक है, और यह आपदाओं के सभी चरणों (पहले, दौरान, बाद और गैर आपदा समय) में लागू होता है। डीडीएमपी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं और आपात स्थिति में सीधे अधीनस्थों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन योजना और संबद्ध कार्यों की समीक्षा सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला

और उप जिला स्तरीय संस्थागत गतिविधियों को देखें। यह सभी हितधारकों के लिए और उनकी तैयारी के स्तर का अध्ययन करने के लिए एक चेकलिस्ट भी सुनिश्चित करता है।

योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों, क्षमताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना और संबंधित जिले में आपदाओं और आपदाओं के खतरों से बचने की तैयारी करना। आपदा चरण के दौरान गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, खोज और बचाव को जुटाना, क्षति का आकलन शामिल है। आपदा चरण के बाद गतिविधियों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anshu'.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Final

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

जिला- गुना (2021-22)

(रित खनिज को छोडकर)(संशोधित)

खनिज- पत्थर क्रेसर (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी निर्माण)



As Per Notification No. S.O. 141(E), 15th January, 2016, S611(E), 25th July 2018, New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती पूजा वानखेडे
खनि निरीक्षक
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला- गुना (म.प्र.)

(Signature)
District Collector, Guna
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Government of India
New Delhi

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1200

गुना, दिनांक 16/11/2022

प्रति,

सदस्य सचिव,
SEAC (सेक), ग.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) रेत के अतिरिक्त गिट्टी एवं मुरम खनिज के संबंध में।

संदर्भ :- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.22

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जिला कार्यालयीन आदेश क्र. /3-6/खनिज/2022/373 गुना, दिनांक 24.03.2022 द्वारा सरदेवेवल सेक माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 एवं इनफोर्समेंट मॉनिटरिंग फार माइनिंग 2020 के अंतर्गत गुना जिले में स्थित खनिजों हेतु प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपसंभाल स्तरीय समिति (सब डिविजनल कमेटी) का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा अनुमोदित प्रारूप, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जनसागान्य के सुझाव हेतु गुना जिले के SAC पोर्टल पर 29 दिवस के लिए, दिनांक 29.07.2022 को वेबसाईड पर अपलोड कराया गया था जिस पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे। उसके उपरांत रेत के अतिरिक्त अन्य गौण खनिज मुरम एवं गिट्टी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक (SEAC) की दिप्पणी के उपरांत पुनः संशोधन कर सेक (SEAC) में प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अन्य गौण खनिज गिट्टी एवं मुरम की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः अधिम कार्यवाही हेतु सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ.) में पत्र के साथ संलग्न कर आपको ओर सार प्रेषित है।

संलग्न :- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-
अन्य गौण खनिज गिट्टी एवं मुरम
की सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ.)

प्रभारी खनिज अधिकारी

(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)

गुना, दिनांक 16/11/2022

पृ. क्रमांक/3-6/खनिज/2022/1201

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, सिया सचिवालय पर्यावरण भवन, जिला भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रभारी खनिज अधिकारी

(खनिज शाखा)
जिला-गुना (म.प्र.)



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण विभाजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, इ-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462018 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466979
फैक्स नं. - 0755-2462130

No. 1620 / SEIAA/2021
Date: 11.8.2021

प्रति

संचालक
भौगोलिक तथा आनिवार्य
29 ए, खनिज भवन,
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 25.07.2018 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 05 वर्ष में अद्यतन (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खनिज अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि MP SEIAA में प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण रवीकृति के जिलेवार खनन प्रकरणों के आवेदनों के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न किये जा रहे परियोजना प्रस्ताव को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में अनिवार्यतः सम्मिलित करें।

साथ ही संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्रमाण-पत्र प्रदान करें कि वर्ष 2016-17 के उपरांत स्वीकृत खदानों को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्मिलित किया जायेगा। इसके उपरांत ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति हेतु प्राप्त आवेदन मान्य किए जायेंगे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1621 /SEIAA/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 11.8.2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

1161

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्मा मंत्रालय
20-ए, 'खनिज भवन' अररा, जिला, भोपाल

फोन एवं फ़ैक्स नंबर
E-mail: epco@nic.gov.in

क्रमांक 1160/भौमिकी/न.क्र. /2022
प्रति

शिक्षा का नाम	M.O	भोपाल दिनांक	08/4/22
प्राप्ति	11 APR 2022		
दिनांक			
अधीक्षक			

कलेक्टर
जिला - मरहापुर, डिण्डीरी, गुना,
शहडोल एवं ग्वालियर (M.P.)

विषय - जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बाबत
संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 03.03.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के समस्त जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सस्टेनेबल सेण्ड मैनेजमेंट गाईड लाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 की गाईड लाईन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) के अनुसार प्रत्येक जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित कमेटी द्वारा तैयार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि गठित कमेटी द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर 21 दिवस हेतु जिला पोर्टल पर आमजन के दावे/आपत्ति हेतु प्रदर्शित करें, तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट को संबंधित समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात सिएक को प्रेषित करने का कष्ट करें।

12/4/22
कार्यालय प्रमुख

पृ क्रमांक /भौमिकी/न.क्र. /2022
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभाग आयुक्त, संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) जिला समस्त की ओर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा तत्काल सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
- Arera Colony, Bhopal (M.P.)

1059

कार्यालय
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश

29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल

फोन एवं फैक्स : 0756-2551223

E-mail : dirgeomn@mp.nic.in

महिला मुना (म.प्र.)
7/20/22, भोपाल, दिनांक 03/3/22
04 MAR 2022

क्रमांक 2981 /खनिज/विचिघ/न.क्र.
प्रति,

समस्त कलेक्टर
(खनि शाखा)
मध्यप्रदेश

विषय : सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मनेजमेंट गाईडलाइन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिट्रिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रत्येक जिले में सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मनेजमेंट गाईडलाइन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिट्रिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 गाइडलाइन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की जानी है। जिले की डीएसआर तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मनेजमेंट गाईडलाइन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिट्रिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में प्रारूप डीएसआर निम्न सविधि द्वारा तैयार की जावी है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
 2. जल संसाधन विभाग के अधिकारी
 3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नामांकित अधिकारी
 4. वन विभाग के अधिकारी
 5. जिले के खनि अधिकारी/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पदस्थ अधिकारी
- उपरोक्तानुसार तैयार प्रारूप डीएसआर को जिला कलेक्टर द्वारा सिएक (SEAC) को

अप्रेषित की जायेगी। सिएक (SEAC) द्वारा इसे सिया (SEIAA) को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

स/स
7/3/22

MC2
3/3/22
23
9.3.2022

2M
03/22
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
भा.प्र.से.
संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पृ. क्रमांक 2982-86
प्रतिलिपि :-
/खनिज/विविध/न.क्र. 12022

भोपाल, दिनांक 03/3/22








1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की ओर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. खनि अधिकारी जिला मध्यप्रदेश की ओर संचालनालय द्वारा डीएसआर तैयार किये जाने हेतु नियुक्त एजेंसी द्वारा यदि प्रारूप डीएसआर तैयार किया जा चुका है तब इस प्रारूप डीएसआर का परीक्षण उपरोक्तानुसार गठित समिति से कराया जाये। समिति द्वारा इस प्रकार तैयार प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रभारी अधिकारी, भौमिकी शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

State Level
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति गुना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिजिल अपील क्रमांक 3661-3661/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) के पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में संचालक महोदय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/ 2981/2982-86 भोपाल दिनांक 03.03.2022 तथा कलेक्टर महोदय जिला गुना के आदेश क्र. 689-690 गुना, दिनांक 17.06.2022 के पालन में प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) निम्न समिति द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गई है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री एस.के. जैन	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला गुना (म.प्र.)	 (एस. के. जैन) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग गुना (म.प्र.)
2	श्री वीरेन्द्र सिंह बघेल	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-गुना, जिला गुना (म.प्र.)	 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसाना गुना (म.प्र.)
3	श्री आर.सी. डामोर	उप वन मण्डल अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)	 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसाना गुना (म.प्र.)
4	श्री सुधान्यु तिवारी	जिला पर्यावरण अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना (म.प्र.)	 उप वन मण्डल अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गेल विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.) पिन कोड- 497012
5	श्री आर.के. पाण्डेय	खनि अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)	 खनि अधिकारी जिला गुना मध्यप्र
6	श्री दीपक सक्सेना	खनि निरीक्षक गुना	 26/7/2022 खनि. निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.)
7	श्रीमती पूजा वानखेडे	खनि निरीक्षक गुना (प्रस्तुतकर्ता)	 26/07/2022 खनि. निरीक्षक जिला-गुना (म.प्र.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2827]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है ;


और रांची स्थित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा वनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर वनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य बातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है ;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है ;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

4250 GI/2018

(1)


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Area Colony, Bhopal (M.P.)

अनुक्रमाणिका

(Table of Contents)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	प्रस्तावना (Introduction)	1
02.	जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)	7
03.	गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)	8
04.	जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)	9
05.	जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)	12
06.	जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface water & Ground water Scenario in the District)	18
07.	जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Detail of Rainfall and Climate Condition of the District)	23
08.	प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टे का ब्यौरा (Detail of the Mining leases in the District as per the Following Format)	24
09.	विगत तीन वर्षों के राजस्व का ब्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)	41
10.	विगत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा (Production Details of Last Three Years)	41
11.	जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)	42

State Level Environmental
Assessment Authority, M.P.
(F.F.C.O.)
Bhopal, M.P.

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)	43
13.	जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)	43
14.	जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Uses of Available Minerals in the District)	43
15.	जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)	43
16.	जिले के मानचित्र पर चिह्नांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)	44
17.	जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)	45
18.	गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृति शीर्ष एवं ढलान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the District Guna)	48
19.	पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)	52
20.	पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)	53
21.	खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)	54

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
22.	जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)	55
23.	जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)	64
24.	जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Managment)	65

List of Maps

Nos.	Maps
1.	Location Map
2.	Toposheet Map
3.	Satellite Map
4.	Base Map
5.	Geological & Mineral Map of Madhya Pradesh
6.	Tehsil Map
7.	Geological Map
8.	Land Use/Land Cover Pattern Map
9.	Forest Map
10.	Soil Map of Madhya Pradesh
11.	Soil Map
12.	Seismic Zone Map
13.	Drainage Map
14.	Water Resources Map
15.	Ground Water Potential Zone Map
16.	Watershed Map
17.	Basin Map
18.	District Resource Map
19.	Existing Cruhsers Quarry Lease Map
20.	Geomorphological Map
21.	Physiographical Map
22.	Digital Elevation Model (DEM)
23.	Slope Map





 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Parvavaran Parisar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

01- प्रस्तावना (Introduction)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना अनुसार गौण खनिज रेत एवं अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार किये जाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में शासन स्तर से प्राप्त अद्यतन निर्देश अनुसार जिला गुना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना उपबिन्दु से शुरू होकर प्रस्तावित प्रारूप अनुसार अग्रांकित रूप से तैयार की है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, जिससे जिले की खनिज संपदाओं की उपलब्धता एवं उनकी अवस्थिति संबंधित सूचनाओं का संकलन है।

खनिज की उपलब्धता एवं आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्लान में चाहे गये खनिज के दोहन हेतु अपनी यह अनुशंसा जारी कर सकेगी कि प्रस्तुत अवस्थिति पर खनिज की उपलब्धता है एवं जारी की जाने वाली सम्मति हेतु उपर्युक्त परिस्थितियां खनन स्थल पर है, साथ ही पर्यावरण से संबंधित यह आंकलन भी इस आधार पर संभव हो सकेगा कि पट्टाधारी को पर्यावरण सम्मति प्रदान की जावे अथवा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन में कुछ आवश्यक सुधार पश्चात सम्मति प्रदाय हेतु अनुमोदन किया जावे।


मध्यप्रदेश राज्य में जिला गुना की स्थिति



गुना, प्राचीन अवंती साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना प्रद्योत राजवंश के 'चण्ड प्रद्योत महासेना' ने की थी, बाद में शिशु संघ ने अवंत के राज्य को जोड़ा, जिसमें

गुना को मगध के बढते साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, गुना को मराठा राजा श्री रामोजी राव सिंधिया ने जीत लिया और गुना, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद तक ग्वालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 28 मई 1948 को गुना मध्यप्रान्त राज्य का हिस्सा बना, 01 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश की स्थापना होने पर गुना जिला मध्यप्रदेश में शामिल हो गया। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना जिले का वर्तमान प्रशासनिक मुख्यालय गुना, जिला मुख्यालय है। गुना शहर 05 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ था। 19वीं सदी के पूर्व गुना, ईसागढ (अब जिला अशोकनगर में स्थित) जिले का एक छोटा सा गाँव था।

जिला गुना- अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट संख्या 54 C/16, D/13, D/14, D/15, D/16, G/4, G/8, H/1, H/2, H/3, H/4, H/5, H/6, H/7, H/8, H/9, H/10 एवं H/11 तथा 55 E/1 एवं E/5 के अंतर्गत विद्यमान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 474 मीटर (1555 फीट) है। जिला गुना 23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E, अक्षांतरो देशांतरो के मध्य स्थित है।

Digitized by
 Dr. V. K. Barisat
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


जिला गुना का उपग्रह चित्रण



Satellite Images, अंतरिक्ष से मानव निर्मित उपग्रहो द्वारा बिना किसी Physical Object के उपयोग द्वारा पृथ्वी के वास्तविक चित्रण को दर्शाती है, उक्त उपग्रह चित्रण जिला गुना को दर्शा रहा है।

State Level Assessment Authority, M.P.

Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



जिला गुना मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है तथा इसका क्षेत्रफल 6,390 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है तथा जिले में कुल 07 तहसीले हैं जो कि- गुना, आरोन, राघौगढ, मधुसूदनगढ, बमोरी,

(Signature)

चांचौडा एवं कुंभराज तथा 05 ब्लॉक क्षेत्र जो कि- गुना, बमोरी, राघौगढ, आरोन तथा चांचौडा है। यह जिला पूर्व दिशा में अशोकनगर, उत्तर में शिवपुरी व दक्षिण में राजगढ, भोपाल, विदिशा और सागर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान के झालावाड एवं बॉरा जिले से परिसीमित है। 15 अगस्त 2003 को गुना जिले को दो भागों में विभाजित किया गया, जिस से पूर्वी भाग अशोकनगर जिला बन गया।

गुना जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र- गुना, बमोरी, चांचौडा और राघौगढ स्थित है। गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। गुना जिले में स्थित राघौगढ एवं चांचौडा क्षेत्र राजगढ लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है तथा वर्तमान में, गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस, गुना लोकसभा क्षेत्र में समावेशित है।

गुना जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-03 जिले के पश्चिमी भाग से गुजरता है। पश्चिम रेल्वे, बीना-कोटा तथा मक्सी-रूठियाई खंड लाईन जिले के मध्य तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। जिला गुना सभी प्रमुख स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पक्के मार्गों से जुड़ा हुआ है।


जिला गुना ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुना जिले में प्रसिद्ध 'बजरंगगढ का किला' अवस्थित है, जिसका निर्माण सन् 1775 में मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था तथा इस किले के अंदर तोपखाना, रंग महल, मोती महल, श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण मंदिर व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार बजरंगगढ क्षेत्र में संगमरमर और शीशो से बने 700 वर्ष पुराने जैन सम्प्रदाय के तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ, श्री कुंथनाथ एवं श्री अर्हरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। गुना जिले में प्रसिद्ध 'राघौगढ का किला' स्थित है, इस किले का निर्माण सन् 1673 में संभवतः चौहान खींची वंश के राजा ने करवाया था। गुना जिले में बीस भुजा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इस मंदिर में दुर्गा माता की 20 हाथों वाली हथियार धारण किए हुए प्रतिमा स्थापित है, इसके बारे में पौराणिक किंवदंती है कि माता के 20 हाथों के, जिस व्यक्ति को दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार जिले में अन्य धार्मिक स्थल जैसे- पंचमुखी हनुमान आश्रम, हनुमान टेकरी, हनुमान मंदिर कैंट, राम जानकी मंदिर, खैरोदा मंदिर एवं

कंकाली मंदिर बमौरी, क्राइस्ट द किंग चर्च, निहाल देवी माता मन्दिर सिरसी-महु रोड, अजित खो आश्रम, टुका श्री हनुमान मंदिर राघौगढ, प्राचीन गादेर गुफा, चार धाम मंदिर जामनेर आदि प्रसिद्ध स्थल है।

गुना जिले में मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केन्द्र स्थित है तथा जिले के भामावड़ गाँव में 'तेजाजी के मेले' का आयोजन किया जाता है, यह मेला तेजाजी की जयंती पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित होता है, ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के पास एक ऐसी शक्ति थी जो साँप के काटने पर उसके जहर को खत्म कर देती है। गुना के विजयपुर से हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन यहीं से होकर गुजरती है। हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर भारत की पहली स्टेट गैस पाइपलाइन है। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित चार इकाईयो में से एक यहाँ पर खाद की फैक्ट्री है। गुना के विजयपुर में गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) इंडिया की उत्पादन इकाई है। वर्ष 1984 में स्थापित गेल भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है।


गुना जिले में प्रसिद्ध कातिकिया नृत्य किया जाता है, यह नृत्य कार्तिक माह में किया जाता है। गुना के विजयपुर में भू-उपग्रह दूर संचार उपग्रह केन्द्र है। गुना जिले में धनिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है तथा यहाँ की तहसील कुंभराज स्थित मंडी, धनिया के लिए जानी जाती है। गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डैम स्थित है, जो कि पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच से होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन और सुठालिया परियोजना के नाम से बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. की पाँचवी सबसे बड़ी जनजाति 'सहरिया' गुना जिले में निवास करती है। गुना जिले में हिन्दी भाषा तथा बुंदेली व सहरिया बोली जाती है। कृषि जिले का मुख्य व्यवसाय है। गुना जिले में मुख्य फसल के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा गेहूँ और चने की खेती भी होती है। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है तथा जिले में मवेशी पालन उद्योग के रूप में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है।

Signature: 
 Rehabilitation Authority, M.P.
 Maryavaran Parsar
 2-5 Maryavaran Colony, Bhopal (M.P.)

02- जिला गुना में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Guna)

मध्यप्रदेश का भूविज्ञान तथा खनिज मानचित्र
GEOLOGICAL AND MINERAL MAP OF MADHYA PRADESH



जिला गुना- तहसीलवार अध्ययन क्षेत्र



जिला गुना में मुख्यतः गौण खनिज निक्षेप पाये जाते है जिसमें खनिज रेत, गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर, मिट्टी, मुरुम तथा फर्शीपत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

State Level Survey and Mineral
Assessment
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Aera Colony, Bhopal (M.P.)


03- गुना जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Guna District)

मध्यप्रदेश के गुना जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.	जिले की जानकारी	जिले का तथ्य
1.	जिले का नाम	गुना
2.	गठन	01 नवंबर, 1956
3.	ब्लॉक	गुना, बमोरी, आरोन, राघौगढ तथा चांचौडा
4.	तहसीलें	गुना, बमोरी, चांचौडा, कुंभराज, राघौगढ, आरोन, मक्सूदनगढ
5.	पड़ोसी जिलों के साथ सीमा	राजगढ, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी
6.	संभागीय कार्यालय	ग्वालियर
7.	जिले का क्षेत्रफल	6,390 वर्ग कि.मी.
8.	गाँव	1338
9.	भाषा	हिन्दी
10.	बोलियाँ	बुंदेली तथा सहरिया
11.	पुलिस स्टेशन	15
12.	जनसंख्या (2011)	12,41,519
13.	साक्षरता दर (2011)	63.23 प्रतिशत
14.	राज्यों के साथ सीमा	राजस्थान (झालावाड और बारां)
15.	भौगोलिक स्थिति	23°50'00"N - 25°10'00"N व 76°50'00"E - 77°40'00"E अक्षांश-देशांतर
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग	एन.एच.-3
17.	मुख्य नदियाँ	पार्वती एवं सिंध
18.	विधानसभा सीट	गुना, बमोरी, चांचौडा, राघौगढ
19.	लोकसभा सीट	गुना (गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस निर्वाचन क्षेत्र)
20.	समुद्र तल से औसत ऊँचाई	474 मीटर (1555 फीट)

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Parvayash Pariser
F-5, Anara Colony, Bhopal (M.P.)

04- जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)



Vindhyan Super Group के Rock Type, Upper Vindhyan Rock Types द्वारा दर्शित है, जिसके अंतर्गत Bhandar Group के शैल प्रकार सम्मिलित है। Neo Proterozoic काल

Slate Level Environmental Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)

Parvavaran Parasar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(90-57 करोड वर्ष) के Bhander Group में Ganurgarh Shale साथ में बालू पत्थर, Bhander Limestone व Lower Bhander Sandstone साथ में अंदर अनियमित शैल प्रकारों का समावेश है। यह जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में एवं डेक्कन ट्रैप के मध्य पाये जाते हैं। Vindhyan Super Group के Rock Types प्रमुखतः श्रेणीबद्ध शैल व बालू पत्थर के एकान्तरित क्रम में पाये जाते हैं।

Cretaceous काल (13.6-5 करोड वर्ष) के लमेटा समूह के शैल-प्रकार सिलिसियस चूना-पत्थर व अत्यधिक जीवाश्मयुक्त बालू-पत्थर से युक्त हैं जो जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में 08 से 25 कि.मी. सिरसी के दक्षिण-पूर्व में व्याप्त हैं। यह शैल प्रकार डेक्कन ट्रैप लावा-स्तरो के नीचे समतलीय अवस्था में विद्यमान हैं।

Cretaceous to Palaeogene काल (6.5-6 करोड वर्ष) के Deccan Trap के अंतर्गत मालवा समूह के Basaltic Lava Flows जिले के दक्षिणी, मध्य, कुछ उत्तरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में व्याप्त हैं। Deccan Trap Lava Flows के Base में Intertrappeans पाये जाते हैं, जिनका Occurrence, Lacustrine or Fluvialite Origin का है। इनके अंतर्गत जीवाश्मयुक्त चर्ट व जीवाश्म-विहीन चर्टी चूना-पत्थर हैं जो कि जिले के उत्तर-पश्चिमी दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं। मालवा समूह के लावा स्तरो को कालीसिन्ध, कांकरिया-पीरुखेडी व इंदौर संरचना स्तरो में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह 14 बैसाल्ट लावा-स्तरो से युक्त हैं जो 'आ', 'पाहोहो' व मेगाक्रिस्ट प्रकृति के हैं। कालीसिन्ध संरचना स्तर पाँच 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तरो से युक्त हैं, जो नॉन-पॉरफिरिटिक से मध्यम पॉरफिरिटिक प्रकार के हैं। कांकरिया-पीरुखेडी संरचना स्तर चार 'आ' प्रकार बैसाल्ट लावा-स्तरो जो नॉन-पॉरफिरिटिक से कम पॉरफिरिटिक व एक मेगा-क्रिस्ट लावा-स्तर ऊपरी-मध्य भाग में तथा एक 'पाहोहो' लावास्तर आधार में पाया जाता है, नवीनतम इंदौर संरचना-स्तर मात्र एक 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तर से युक्त हैं जो अल्प से मध्यम पॉरफिरिटिक गुणों का हैं।

Cainozoic काल (7-0.1 से कम करोड़ वर्ष) के लेटेराइट बड़े बोल्टरो या शिला-खण्डों व निक्षेपो रूप में विन्ध्यन उन्न भू-भाग व डेक्कन पठारों पर आच्छादित हैं जो जिले के मध्य व पश्चिमी भाग में व्याप्त हैं। लौहयुक्त लेटेराइट के निक्षेपो के स्तरो की मोटाई 1 से 5 मीटर है। चतुर्थकल्पीय काल (10 लाख वर्ष से कम) के जलोढक संकरी पट्टिकाओं तथा पृथक रूप से विकसित खण्डों के रूप में पार्वती नदी के किनारों पर जिले के दक्षिणी भाग में तथा पारोल के निकट जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में विद्यमान हैं। यह जलोढक पैबल स्तर, ग्रेट, सिल्ट व बालू से युक्त हैं।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Parvati Prasad
E-5, Area Colony, Bhopal (M.P.)


Geological Succession of District Guna

<u>Lithology</u>	<u>Stratigraphic Status</u>	<u>Age</u>
Alluvium (Sand, Silt)		Quaternary
Laterite		Cainozoic
'Aa', Compound 'Pahoehoe' And Basaltic Lava Flows (Malwa Group –Deccan Trap)	Indore Formation	Cretaceous to Palaeogene
	Kankariya Formation	
	Pirukheri Formation	
	Ranod Formation	
	Kali Sindh Formation	
	Karwa Formation	
	Unclassified Basaltic Lava Flows/Intertrappean (Limestone and Chert)	
Lameta Group	Siliceous Limestone & Fossiliferous Sandstone	Cretaceous
Vindhyan Super Group (Bhander Group)	Lower Bhander Sandstone	Neo Proterozoic (Late)
	Bhander Limestone	
	Ganurgarh Shale	


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Parvatan Pansari
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

05- जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)




State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
 Parvatan Parisar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Land Use & Land Cover Classes of the District Guna

LULC Breakup of the District	% Area	Area (in Sq. km.)
Built-up Land	0.27682934	17.5014
Crop Land	58.63356896	3706.867
Deciduous Broadleaf Forest	22.68169229	1433.957
Fallow Land	6.762921755	427.558
Mixed Forest	4.961476347	313.669
Shrubland	5.331733651	337.077
Wasteland	0.102145018	6.4577
Water Bodies	1.209783474	76.4836
Plantation	0.039891871	2.522




जिला गुना के वन मण्डल का वन क्षेत्रफल कुल 180 वन खण्डों के अंतर्गत सम्मिलित होकर कुल 2214.67 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 774.60 वर्ग कि.मी. जिसमें 25 वन खण्ड सम्मिलित है तथा संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 1440.07 वर्ग कि.मी. जिसमें 155 वन खण्ड सम्मिलित है।

जिला गुना में तीन प्रकार का Forest Classification पाया जाता है-

1. Teak Forest
2. Mixed Forest
3. Bamboo Forest

जिला गुना में वनों की निम्नलिखित प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि- Teak, Dhaora, Achar, Aonla, khair, Kaim, Tendu, Bija, Behera, Salai, Tinsa, Gurjan, Khai, Sal, Palas, Bamboo, Dhaoral, Lendia, Sajaj etc.


State Level Environmental Imp...
Author... M.P.



मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है-

1. काली मिट्टी
2. लाल-पीली मिट्टी
3. जलोढ मिट्टी
4. कछारी मिट्टी
5. मिश्रित मिट्टी


गुना जिले का भू-भाग, जलोढ मिट्टी एवं गहरे रंग की काली मिट्टी के आवरण वाला है, जिसे दोमट मिट्टी (Loamy Soil) भी कहा जाता है। यह मिट्टी उर्वरक एवं काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिल्ट, चिकनी मिट्टी एवं बालू का मिश्रण होता है जिसमें 40 प्रतिशत सिल्ट, 20 प्रतिशत चिकनी मिट्टी तथा 40 प्रतिशत बालू की मात्रा की उपस्थिति होती है, यह उक्त संरचना मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। इस मिट्टी के कणों में बहुत अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिस कारण यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रहती है और इसमें वायु संचार भली-भाँति होता है।



गुना जिले में काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर पाई जाने वाली डेक्कन ट्रेप बैसाल्टिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ है। इस मिट्टी के रसायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अलावा लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला हो जाता है। पानी पडने पर ये मिट्टी चिपकती है और सूखने पर इनमें बड़ी-बड़ी दरारें पड जाती हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती है।

गुना जिले के आरोन एवं चांचौडा ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी (Clay Soil) भी पाई जाती है, इस मिट्टी के कण बहुत ही महीन होते हैं और पास-पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता कम होती है तथा Air Spaces कम होने के कारण वायु संचार नहीं होता है, जिस कारण यह मिट्टी अधिक उर्वरक नहीं होती है।



 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EIA)



जिला गुना Seismic Activity Zone के Low Damage Risk Zone के अंतर्गत आता है।

(Signature)
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPG)
Paryavaran Pansar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


06- जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface Water & Ground Water Scenario in the District)



जिला गुना में मुख्य रूप से दो नदियाँ - पार्वती और सिंध प्रवाहित होती है, इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ पुरेती, बर्री, अंधेरी तथा कुन्नु नदियाँ प्रवाहित होकर जिले में भौगोलिक रूप से Dendric Pattern का निर्माण करती है।

(Handwritten signature)

Abbas...
 Ram...
 (S...)




जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। जल के उपयोगों में शामिल है- कृषि, औद्योगिक, घरेलु और पर्यावरणीय गतिविधियाँ। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है।

जल संसाधन के प्रकार :

1. सतही जल संसाधन
2. भूमिगत जल संसाधन

जिला गुना, जल संसाधन के मामले में अच्छी स्थिति में है। यहाँ मुख्य रूप से दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं - पार्वती एवं सिंध तथा इनकी सहायक नदियों के रूप में कनू, अंधेरी, पूरेती एवं बर्वी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके आलावा जल स्रोतों के रूप में मानव निर्मित तालाब एवं बांध मौजूद हैं।




Lithology of Groundwater Potential Zone of District Guna

Ground Water Potential Zone	Lithology
Fairly Good	Bhandar Sandstone
Good	Limestone
	Laterite
	Deccan Trap
Low	Alluvium


State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(EPCU)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



जिला गुना को छः Watershed में बांटा गया है जिसका Interpretation निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Watershed	Area (in Sq. Km.)
1	Parvati River	2917 Sqkm
2	Sindh River	1129 Sqkm
3	Kunu River	596 Sqkm
4	Barri River	678 Sqkm
5	Pureti River	513 Sqkm
6	Andheri River	556 Sqkm




चम्बल बेसिन - चम्बल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो विन्ध्यन पठार के उत्तरी पश्चिमी लोब तथा अरावली पर्वत के मध्य जलोढ़ संरचना से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रदेश को चम्बल बेसिन का नाम दिया जाता है। चम्बल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे - सिंध और पार्वती कोटा में एक त्रिकोणमयी बेसिन का निर्माण करती हैं।

यमुना बेसिन - यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री (उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढ़वाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, सेंगर, सिन्ध, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं।

07- जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Rainfall & Climate Condition in the District)

Rainfall in Guna District (Data as per Ground Water Year Book – CGWB)

Year	Monsoon Rainfall	Normal Rainfall	Departure from Normal Monsoon Rainfall (%)	Category
2017-18	631.4	879.4	-28	Deficit
2018-19	907.8	943	-4	Normal
2019-20	1557.2	888.1	75	Large Excess
2020-21	847	888.1	-5	Normal
2021-22	1633.2	888.1	84	Large Excess



जिला गुना में मानसून का मौसम जुलाई से प्रारंभ होता है, इस दौरान यहाँ नियमित वर्षा होती है। जिला गुना सर्दी में अत्याधिक ठंडा रहता है। सर्दी का मौसम नवम्बर से फरवरी तक रहता है। दिसम्बर और जनवरी में यहाँ रात का तापमान कभी-कभी 5 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है जबकि उच्चतम तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेन्टीग्रेड के आस-पास रहता है। दिसम्बर-जनवरी माह में जिले में कड़ाके की ठण्ड पडती है जिसके साथ-साथ कोहरा भी पडता है। उसी समय उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवायें जिले को असामान्य रूप से ठण्डा करती है।

State Level Environmental Impact
Assessment Authority (SLEIAA)

Paryavaran Parishad
12-B, Arera Colony, Bhopal, M.P.

08- प्रदत्त प्रारूप अनुसार जिले में खनन पट्टों का ब्यौरा (Detail of the Mining Leases in the District as per the Following Format)

क्र.	खनिज का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या	खनन पट्टा अनुदान आदेश संख्या एवं तारीख	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	सर्वे नं.	खनन पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खनन पट्टे की अवधि (प्रारंभिक)		खनन पट्टे की अवधि (पहला दूसरा नवीनीकरण)		खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख	प्रास्थिति (कार्यशाला / गैर-कार्यशील परेषण आदि के लिये स्थायी रूप से कार्यशील)	कौटिब्य / गैर-कौटिब्य	पर्यावरण नियंत्रण अभिप्राय (हां / नहीं) यदि हां तो पर्यावरण निकासी अनुदत्त करने की तारीख सहित पत्र संख्या	खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांतर)	खनन की विधि (खुली / भूमिगत)	पेड़ / पौधों की प्रजाति या
									से	तक	से	तक							
1	गिट्टी (पत्थर)	सुरेंद्र गुप्ता निवासी - सी.जी.रोड गुना द्वारा हरिसिंह जाट	9755043 372	2742 दिनांक 22.12.17	ग्राम- पुरापोसर	गुना	सर्वे नं 111/1/क /13	रकबा 2000 हे.	8/11/2016 से	08/11/2016 से	31.10.26	कार्यशील	गैर-कौटिब्य	पत्र क्र. 60 दिनांक 12.03.18	24°42'05.10"N 77°15'20.80"E 24°42'01.70"N 77°15'21.20"E 24°42'58.70"N 77°15'17.00"E 24°42'00.40"N 77°15'14.10"E	(खुली)	1 3 0 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 3 नीम		
2	गिट्टी (पत्थर)	मैसर्स तिरुपति स्टोन क्रेशर पार्टनर- आशीष साविता एवं रोहित रघुवंशी	9049009 648, 9893520 596	13269 दिनांक 14.08.18	ग्राम -खेजरा	गुना	सर्वे नं. 396/1	रकबा 4000 हे.	9/4/2017 से	09/04/2017 से	05/02/07	कार्यशील	गैर-कौटिब्य		24°37'03.30"N 77°21'59.80"E 24°36'55.40"N 77°21'59.80"E 24°36'55.6"N	(खुली)	1 4 2 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 4 नीम		

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
पर्यावरण बोर्ड
E-5, Arera Colony Bhopal (M.P.)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

(पत्थर)	निवासी-हुमा न कालोनी गुना	111	दिनांक 06.07.15	मागवार	गुना	112/4	2,000 हे.	से 30.06.2025	015	ल	कैप्टिव	168 दिनांक 07.11.14	77°19'54.7 7"E 24°42'39.2 2"N 77°19'55.5 8"E 24°42'36.8 4"N 77°19'55.2 8"E	0	यूके लिट स 4 शीश म, 3 नीम
5	गिट्टी (पत्थर) पुष्पेन्द्र धाकडे निवासी-ग्राम डुगासरा हाल मुकाम डुगा कालोनी गुना	9584851 029	1796 दिनांक 08.12.16	मागवार	गुना	सर्वे नं. 8/1	रकबा 2,000 हे.	19.04.2017 से 18.04.2027	16.06.17	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	रुरु रुरु	24°40'32.3 3"N 77°18'35.2 4"E 24°40'34.7 1"N 77°18'36.7 0"E 24°40'38.0 3"N 77°18'36.7 0"E 24°40'39.6" N 77°18'39.9 6"E 24°40'35.5 9"N 77°18'39.9 6"E	1 2	यूके लिट स 4 शीश म, 2 नीम
6	गिट्टी (पत्थर) निशाक गार्ग निवासी- जाट मोहल्ला गुना	9406573 766	21635-636 दिनांक 18.12.15	ग्राम मोहनपुरक ला	गुना	सर्वे नं. 57/1	रकबा 4,000 हे.	18.12.2015 से 17.12.2025	05/01/16	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	पत्र क्र. 124 दिनांक 26.05.16	24°42'44.0 0"N 77°20'00.0 5"E 24°42'49.5 2"N 77°20'00.0 0"E 24°42'50.0 9"N 77°20'6.18" E 24°42'45.4 3"N 77°20'6.26" E	1 0	यूके लिट स 4 शीश म, 3 नीम
7	गिट्टी (पत्थर) पुनोत अग्रवाल पुत्र प्रमोद अग्रवाल निवासी-पुरानी	9425739 610	3261 दिनांक 09.04.18	ग्राम पिपरोदाखु रं	गुना	सर्वे नं. 2/1	रकबा 4,000 हे.	1/5/2017 से	28.02.20	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	01.05.07 से 30.04.17	24°40'57.4 0"N 77°18'35.1 0"E	1 2	यूके लिट स 4

(Signature)

Joint Land Assessment In-charge,
Assessment Authority, M.P.
(JLAI)
Parvayatan Parisar
B-5, Aera Colony, Bhopal (M.P.)

गल्ला मंडी गेट गुना	गिट्टी (पत्थर)	9685954 299	31630- 633 दिनांक 18.12.15	ग्राम पिपरीदाखु ई	गुना	सर्वे नं. 61	रकबा 4,000 हे.	18.12.2015 से 17.12.2025	-	04/02 /15	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 5435 दिनांक 07.09. 15	24°40'47.7 0"N 77°18'35.6 0"E 24°40'47.6 0"N 77°18'28.8 0"E 24°40'55.3 0"N 77°18'28.0 0"E	24°40'58.7" N 77°19'00.5" E 24°41'02.5" N 77°19'00.6" E 24°41'03.1" N 77°18'52.4" E 24°41'00.1" N 77°18'59.5" E	(खुली)	1 0	शीश म, 2 नीम
गल्ला मंडी गेट गुना	गिट्टी (पत्थर)	9893221 944	2740 दिनांक 20.12.17	ग्राम पिपरीदाखु ई	गुना	सर्वे नं. 63	रकबा 2,000 हे.	19.12.2016 से 18.12.2026	19.12.06 से 18. 1216	21.01.16	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 46 दिनांक 12.03. 18	24°41'00.2" N 77°18'42.0 0"E 24°41'01.3" N 77°18'42.8" E 24°41'01.8" N 77°18'34.0 0"E 24°40'58.1" N 77°18'34.3" E 24°40'57.9" N 77°18'41.2" E	(खुली)	1 2	यूके लिप्ट स 4 शीश म, 2 नीम	
गल्ला मंडी गेट गुना	गिट्टी (पत्थर)	9479394 748	2736 दिनांक 20.12.17	ग्राम पिपरीदाखु ई	गुना	सर्वे नं. 61	रकबा 4,000 हे.	13/04/2 017 से	07.02.09 से 12.04. 17	25.12.17	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 40 दिनांक	24°41'11.2 1"N 77°18'42.8 2"E	(खुली)	1 0	यूके लिप्ट	

1	सिट्टी (पत्थर)	कालोनी गुना	9425408 550	2737 दिनांक 20.12.17	ग्राम पिपरोदाखु द	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रकबा 2,000 हे.	12/4/20 27	05.12.06 से 04.12. 16	26.04.18	कार्यशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 56 दिनांक 12.03. 18	24°41'16.0 2'N 77°18'42.9 70'E 24°41'15.9 9'N 77°18'52.0 0'E 24°41'11.1 0'N 77°18'51.6 7'E	1 2	स 4 शीश म, 3 नीम
1	सिट्टी (पत्थर)	राकेश रघुवंशी निवासी-हीरा बाग कालोनी गुना	9425408 345	1704 दिनांक 29.10.16	ग्राम पिपरोदाखु द	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रकबा 4,000 हे.	01/11/2 016 से 31/10/2 026	01.11.06 से 31.10. 16	29.10.16	कार्यशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 11 दिनांक 15.06. 17	24°40'54.9 8'N 77°18'19.6 8'E 24°40'55.8 3'N 77°18'28.1 2'E 24°41'01.0 8'N 77°18'26.9 4'E 24°41'00.6 9'N 77°18'18.5 5'E	1 0	स 4 शीश म, 3 नीम
1	सिट्टी (पत्थर)	राकेश शर्मा निवासी-ग्वालि यर	9009931 467	2739 दिनांक 20.12.17	ग्राम पिपरोदाखु द	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-2	रकबा 4,000 हे.	19.09.2017 से 18.09.2027	19.09.07 से 18.09. 17	28.04.18	कार्यशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 44 दिनांक 12.03. 18	24°40'37.3 6'N 77°18'26.8 5'E 24°40'30.7 0'N 77°18'25.8	1 2	स 4 शीश म, 3 नीम

1	गिट्टी (पत्थर)	नरेंद्र सिंघरे निवासी-कमला भवन के पास गुना	9669785 333	3207 दिनांक 24.03.18	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 493	रकबा 2.000 हे.	20.04.2018 से 19.04.2028	20.04.08 से 19.04. 18	04/03 /17	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 94 दिनांक 19.09. 18	24°35'28.9 0"N 77°17'39.8 6"E 24°35'29.5 0"N 77°17'38.0 0"E 24°35'33.4 0"N 77°17'39.5 0"E 24°35'35.0 0"N 77°17'41.6 0"E 24°35'34.0 0"N 77°17'43.1 0"E	(खुली)	1 0	2 नीम
1 5	गिट्टी (पत्थर)	सुरेंद्र सिंह जाट निवासी-इनुमा न कालोनी गुना	9993386 999	2219 दिनांक 12.05.17	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1020/6	रकबा 2.000 हे.	01/3/20 17 से 28/02/2 027	-	20.09.17	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 11 दिनांक 11.07. 17	24°34'03.4 7"N 77°18'16.7 7"E 24°34'05.5 1"N 77°18'12.2 9"E 24°34'04.3 3"N 77°18'11.5 3"E 24°34'04.3 2"N 77°18'06.4 1"E 24°34'00.4 5"N 77°18'14.0 6"E	(खुली)	1 2	6 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 2 नीम
1 6	गिट्टी (पत्थर)	अमरसिंह जाट	8085251	19336- 49	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1018/6	रकबा 4.000	06/11/2 015	-	03/02 /16	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र.	24°34'15.6 0"N	(खुली)	1 3	3

Area Level Evaluator
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

E-5, Arera Colony Bhopal (M.P.)


193	निवासी-हनुमान कालोनी गुना	7354586 998	2277 दिनांक 29.06.17	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1029/2	रकबा 2,000 हे.	से 05/11/2 025	-	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	प.क्र. 2.4 दिनांक 12.12.17	77°18'32.8 0°E 24°34'15.4 0°N 77°18'36.6 0°E 24°34'11.0 0°N 77°18'34.0 0°E 24°34'13.2 0°N 77°18'27.5 0°E	0	यूके लिस्ट स 4 शीश म, 3 नीम
17	मिट्टी (पत्थर) राजेन्द्र सिंह तोमर निवासी-38 हर्षनगर शाहीपुर ग्वालियर	7354586 998	2277 दिनांक 29.06.17	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1029/2	रकबा 2,000 हे.	से 01/01/2 018 से 31/12/2 027	-	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	प.क्र. 2.4 दिनांक 12.12.17	24°34'24.5 0°N 77°18'05.2 0°E 24°34'20.8 0°N 77°18'05.6 0°E 24°34'19.4 0°N 77°18'10.0 0°E 24°34'26.3 0°N 77°18'11.5 0°E	1 2	यूके लिस्ट स 4 शीश म, 2 नीम
18	मिट्टी (पत्थर) राजेन्द्र सिंह तोमर निवासी-38 हर्षनगर शाहीपुर ग्वालियर	7354586 998	1886 दिनांक 12.01.17	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 944	रकबा 2,000 हे.	से 12/01/2 007 से 11/01/2 027	-	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	प.क्र. 1.8.3.7 दिनांक 29.12.16	24°34'25.4 6°N 77°18'09.5 1°E 24°34'26.4 6°N 77°18'09.8 0°E 24°34'28.4 6°N 77°18'06.0 4°E 24°34'28.4 8°N 77°18'04.0 4°E	1 0	यूके लिस्ट स 4 शीश म, 3 नीम
19	मिट्टी (पत्थर) राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान	9755042 794	2221 दिनांक 16.06.17	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1018/6	रकबा 4,000 हे.	से 05/03/2 018 से	-	कार्यशील	गैर-कैप्टिव	प.क्र. 2.4 दिनांक	24°34'15.4 0°N 77°18'36.6° E	1 2	यूके लिस्ट

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Parivaranika Sanshodhan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

न कालोनी गुना	2 0	मिट्टी (पत्थर)	मीनासो जैन निवासी-बाहुब लीपुर ए.बी.रोड गुना	9109648 042	1799 दिनांक 13.12.16	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 35. 37	रकबा 2.000 हे.	04/03/2 028	-	21.12.16	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 11.0.0 दिनांक 02.02. 16	24°34'11.0 0"N 77°18'34.0 0"E 24°34'14.5 0"N 77°18'38.8" E 24°34'11.5 0"N 77°18'37.7 0"E 24°34'11.5 0"N 77°18'37.7 0"E	स 4 शीश म, 2 नीम
	2 1	मिट्टी (पत्थर)	चन्द्रपाल सिंह तोमर निवासी-थाटीपु र ग्वालियर	7354586 998	4097 दिनांक 13.02.19	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1029/2	रकबा 2.000 हे.	06/07/2 019 से 05/07/2 029	-	06/07 /19	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 15.1.1 दिनांक 03.02. 19	24°34'15.7" N 77°18'05.3 0"E 24°34'19.3" N 77°18'09.8 0"E 24°34'14.5" N 77°18'07.8 0"E 24°34'11.7" N 77°18'07.6 0"E 24°34'16.0 9"N 77°18'11.8 E	स 4 शीश म, 2 नीम

2	गिट्टी (पत्थर)	सुबीर सहारिया निवासी-ग्राम कुशमौरा गुना	7771982 222	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1009/2	रकबा 2.000 हे.	11/12/2 015 से 10/12/2 025	-	11/12 /15	गैर- कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 13.096 दिनांक 27.09. 19	0°E 24°34'39.5 2°N 77°18'28.5 1°E 24°34'41.9 8°N 77°18'34.9 4°E 24°34'45.0 4°N 77°18'34.1 6°E 24°34'42.3 4°N 77°18'27.1 1°E	(खुली)	1 0	3 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 3 नीम
2 3	गिट्टी (पत्थर)	हरवीर सिंह जाट निवासी-इनुमा न कालोनी गुना	7771982 222	ग्राम बजरगाढ	गुना	सर्वे नं. 1018/6	रकबा 4.000 हे.	05/03/2 018 से 04/03/2 028	-	05/03 /18	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 32 दिनांक 15.12. 17	0°E 24°34'12.0° N 77°18'32.5° E 24°34'12.5° N 77°18'30.5° E 24°34'16.5° N 77°18'31.0° E 24°34'17.0° N 77°18'34.0° E 24°34'16.0° N 77°18'33.0° E	(खुली)	1 2	6 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 2 नीम
2 4	गिट्टी (पत्थर)	मृदुल शर्मा निवासी-सदर बाजार कैप्ट-गुना	7771982 222	ग्राम पिपरीवाखु दं तहसील- गुना	गुना	सर्वे नं. 2/1 मिन-1	रकबा 4.000 हे.	25.01.2017 से 24.01. 17 से 24.01.2027	25.01.07 से 24.01. 17	26.04.18	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 58 दिनांक 12.03. 18	0°E 24°40'55.3 0°N 77°18'28.0 0°E 24°40'54.0 0°N 77°18'24.0 0°E 24°40'46.3 0°N 77°18'22.3 0°E 24°40'46.7 0°N	(खुली)	1 0	3 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 3 नीम



 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Paryavaran Parisar
 A. S. Arera Colony, Bhopal (M.P.)

2	गिट्टी (पत्थर)	अमिता जैन निवासी-सोनी कालोनी गुना	9754391 006	2466 दिनांक 26.09.17	ग्राम बजरगढ	गुना	सर्वे नं. 1029/2	रकबा 4,000 हे.	08/05/2 017 से 04/05/2 027	08.05.07 से 07.05. 17	23.01.18	कार्यशी ल	गैर- कोस्टिव	प.क्र. 38 दिनांक 18.12. 17	77°18'29.1 0"E 24°34'11.6 0"N 76°17'59.4 0"E 24°34'18.7 0"N 76°17'59.1 0"E 24°34'18.7 0"N 76°18'05.9 9"E 24°34'11.7 5"N 76°18'06.2 9E	1 2	(खुली)	6 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 2 नीम
2 6	गिट्टी (पत्थर)	राजवीर सिंह रघुवंशी निवासी-गुलाब गज आरोन	9826254 953	3250 दिनांक 05.04.18	ग्राम बारोद	आरोन	सर्वे नं. 65/1/मिन -2	रकबा 2,000 हे.	06/07/2 018 से 05/07/2 028	-	07/07 /18	कार्यशी ल	गैर- कोस्टिव	प.क्र. 13169 दिनांक 16.10. 18	24°25'46.9 0"N 77°22'25.1 0"E 24°25'51.4 0"N 77°22'23.5 0"E 24°25'53.3 5"N 77°22'23.9 8"E 24°25'55.3 5"N 77°22'27.2 6"E 24°25'46.9 5"N 77°22'26.9 4"E	1 0	(खुली)	3 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 3 नीम
2 7	गिट्टी (पत्थर)	विशाल रघुवंशी निवासी-ग्राम खामखेडा तहसील-आरोन	9617462 870	2888 दिनांक 19.01.18	ग्राम खामखेडा	आरोन	सर्वे नं. 136/2/क	रकबा 4,000 हे.	22.03.2018 से 21.03.2028	-	22.03.18	कार्यशी ल	गैर- कोस्टिव	प.क्र. 62 दिनांक 12.03. 18	24°24'48.1 0"N 77°26'43.4 0"E 24°24'52.9 5"N 77°26'44.4 9"E 24°24'53.0 0"N 77°26'53.5 6"E 24°24'48.1	1 2	(खुली)	6 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 2 नीम

2	गिट्टी (पत्थर)	जनवारीलाल धाकड निवासी-ग्राम पंहारुआ तहसील आरोन	9893895 920	3490 दिनांक 18.07.18	ग्राम मूडरामता	आरोन	सर्वे नं. 3/1/क/1	रकबा 2,000 हे.	27.03.2018 से 26.03.2028	27.08.08 से 26.08.18	22.02.08	कार्यशील	गैर-कॉस्टिव	प.क्र. 82 दिनांक 30.06.18	5°N 77°26'53.5 4"E	24°15'46.5 0"N 77°27'13.1 0"E	24°15'49.9 6"N 77°27'12.8 6"E	24°15'52.7 0"N 77°27'17.8 0"E	24°15'49.3 0"N 77°27'20.1 0"E	24°5'37.87" N 77°6'4.05" E	24°5'42.16" N 77°6'5.99" E	24°5'41.04" N 77°6'9.87" E	24°5'36.62" N 77°6'8.12" E	24°5'04.96" N 76°58'34.3 2"E	24°5'04.83" N 76°58'34.7 0"E	24°5'06.74" N 76°58'34.6 0"E	24°5'08.70" N 76°58'34.3 5"E	(खुली)	1 0	3 यूके लिट स 4 शीश म, 3 नीम
2	गिट्टी (पत्थर)	फूल सिंह लोधी निवासी-भगवा न पुरा, व्यावरा	9893143 830	3866 दिनांक 13.12.18	ग्राम तेलीगांव	चांचौडा	सर्वे नं. 213/6	रकबा 1,700 हे.	28.05.2019 से 27.05.2029	-	29.05.19	कार्यशील	गैर-कॉस्टिव	प.क्र. 740 दिनांक 22.05.19	24°5'37.87" N 77°6'4.05" E	24°5'42.16" N 77°6'5.99" E	24°5'41.04" N 77°6'9.87" E	24°5'36.62" N 77°6'8.12" E	24°5'37.87" N 77°6'4.05" E	24°5'42.16" N 77°6'5.99" E	24°5'41.04" N 77°6'9.87" E	24°5'36.62" N 77°6'8.12" E	24°5'04.96" N 76°58'34.3 2"E	24°5'04.83" N 76°58'34.7 0"E	24°5'06.74" N 76°58'34.6 0"E	24°5'08.70" N 76°58'34.3 5"E	(खुली)	1 2	6 यूके लिट स 4 शीश म, 2 नीम	
3	गिट्टी (पत्थर)	हेमराज खरे निवासी-ग्राम जोगीपुरा	9826698 761	1941 दिनांक 07.02.17	ग्राम जोगीपुरा	चांचौडा	सर्वे नं. 16/1/1	रकबा 2,000 हे.	01/09/2017 से 30/08/2027	-	04/09/17	कार्यशील	गैर-कॉस्टिव	प.क्र. 740 दिनांक 22.05.19	24°5'37.87" N 77°6'4.05" E	24°5'42.16" N 77°6'5.99" E	24°5'41.04" N 77°6'9.87" E	24°5'36.62" N 77°6'8.12" E	24°5'37.87" N 77°6'4.05" E	24°5'42.16" N 77°6'5.99" E	24°5'41.04" N 77°6'9.87" E	24°5'36.62" N 77°6'8.12" E	24°5'04.96" N 76°58'34.3 2"E	24°5'04.83" N 76°58'34.7 0"E	24°5'06.74" N 76°58'34.6 0"E	24°5'08.70" N 76°58'34.3 5"E	(खुली)	1 0	3 यूके लिट स 4 शीश म, 3 नीम	

3	गिट्टी (पत्थर)	खबचंद जैन निवासी-ग्राम आगर (मालवा)	9826788 777	2275 दिनांक 27.06.17	ग्राम जोगीपुरा	चाचौडा	सर्वे नं. 16/1/1	रकबा 3,000 हे.	20.12.2017 से 19.12.2027	-	20.12.17	कार्यशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 26 दिनांक 12.12. 17	24°5'08.98" N 76°58'34.4 0"E 24°5'08.88" N 76°58'34.1 5"E 24°5'07.15" N 76°58'34.1 1"E 24°5'07.03" N 76°58'34.3 2"E	(खुली)	1 2	6 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 2 नीम
3	गिट्टी (पत्थर)	प्रेमबिहारी लोधा निवासी- ग्राम सांदला तहसील-मनोह र थाना	9929809 588	2805 दिनांक 01.01.18	ग्राम आखखेडी	चाचौडा	सर्वे नं. 29/4	रकबा 2,000 हे.	27.03.2018 से 26.03.2028	-	28.03.18	कार्यशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 52 दिनांक 17.03. 18	24°28'16.8 0"N 76°59'10.0 0"E 24°28'21.6 0"N 76°59'10.0 0"E 24°28'22.7 0"N 76°59'14.7 0"E 24°28'17.0 0"N 76°59'10.2 0"E	(खुली)	1 0	3 यूके लिप्ट स 4 शीश म, 3 नीम
3	गिट्टी (पत्थर)	विजयसिंह भील निवासी-ग्राम	9713560 937	2758 दिनांक 28.12.17	ग्राम ढाढोप्या	मक्सूदन गढ	सर्वे नं. 46/1/क	रकबा 2,000 हे.	20.04.2018 से	-	20.04.18	कार्यशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 21 दिनांक	24°09'40.6 7"N 77°13'17.5 2"E	(खुली)	1 2	6 यूके लिप्ट

गादर तहसील-मकसू दगानढ	3 4	गिट्टी (पत्थर)	राधा मोहन साहू, विवासी- राधागढ	9713371 339, 9936434 348 9425135 106	3206 दिनांक 24.03. 18	ग्राम जामनेर	मकसूदन गढ	सर्वे नं. 1/1	रकबा 4000 हे.	24.07.2018 से 23.07.2028	-	30.01.18	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 40 दिनांक 30.06. 18	24°09'40.0 0"N 77°13'15.4 4"E 24°09'39.4 7"N 77°13'14.2 0"E 24°09'37.7 3"N 77°13'13.9 6"E 24°09'37.0 8"N 77°13'13.8 4"E 24°09'35.7 9"N 77°13'16.0 0"E 24°09'37.5 7"N 77°13'17.0 0"E	1 0	(खुली)	स 4 शीश म, 2 नीम	3 सूके लिट स 4 शीश म, 3 नीम
-----------------------------	--------	-------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	--------------------------------	---	----------	--------------	-----------------	--	--	--------	--------	------------------------------	--


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPGA)
 Paryavaran Parisar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

3	गिट्टी (पत्थर)	विजयसिंह भील निवासी-ग्राम गादेर तहसील-मकसू दगनढ	9713560 937	1442 दिनांक 28.12.17	ग्राम ढाढोल्या	मकसूदन गाढ	सर्वे नं. 46/1/क	रकबा 4.000 हे	04/01/2 018 से 03/01/2 028	16.09.03 से 15.09. 13	11/09 /15	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 40 दिनांक 12.03. 18	24°09'23.4 0"N 77°13'04.1 0"E	24°09'36.0 6"N 77°13'15.3 5"E 24°09'42.0 2"N 77°13'24.3 7"E 24°09'39.6 0"N 77°13'24.3 7"E 24°09'32.2 7"N 77°13'24.5 8"E	1 2	6 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 2 नीम
3	गिट्टी (पत्थर)	सादिक मोहम्मद निवासी-मधुसूद नगाढ	9754404 077	16041 -44 दिनांक 21.09.15	ग्राम कोलारस	मकसूदन गाढ	सर्वे नं. 301/1	रकबा 4.000 हे	16.07.2013 से 15.07.2023	16.09.03 से 15.09. 13	11/09 /15	कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 1711 दिनांक 07.11. 14	24°05'14.4 0"N 77°15'11.4 0"E 24°05'19.2 1"N 77°15'11.8 0"E 24°05'18.5 3"N 77°15'21.8 9"E 24°05'14.3 1"N 77°15'21.8 8"E	24°05'14.4 0"N 77°15'11.4 0"E 24°05'19.2 1"N 77°15'11.8 0"E 24°05'18.5 3"N 77°15'21.8 9"E 24°05'14.3 1"N 77°15'21.8 8"E	1 0	3 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 3 नीम
3	गिट्टी (पत्थर)	रजोत सिंह मीना पुत्र रामनारायण मीना निवासी-ग्राम हिगोना, तहसील मकसूदनगाढ	3587	दिनांक 13.08.18	ग्राम ग्राम मोतीपुर	मकसूदन गाढ	सर्वे नं. 165/1/क	रकबा 3.000 हे	25.02.2019 से 24.02.2029	-		कार्यशी ल	गैर- कैप्टिव		24°09'33.1" N 77°13'21.8" E 24°09'34.7" N 77°13'25.2" E 24°09'24.0" N 77°13'21.1" E 24°09'27.3" E	24°09'33.1" N 77°13'21.8" E 24°09'34.7" N 77°13'25.2" E 24°09'24.0" N 77°13'21.1" E 24°09'27.3" E	1 2	6 यूके लिफ्ट स 4 शीश म, 2 नीम


3	गिट्टी (पत्थर)	लखन सिंह मीना पुत्र जयनारायण मीना निवासी-ग्राम सियाखेड़ी तह. मकसूदनगढ़	7770888 022	16036- 39 दिनांक 21.09.15	ग्राम कुमराज	सर्वे नं. 295 / 1	रकबा 2,000 हे	15.04.2014 से 14.04.2024	25.02.2019 से 24.02.2029	कार्यशील	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 1249 दिनांक 29.04. 16	24°21'55.2 6"N 77°20'88" E 24°21'59.5 4"N 77°20'00.00" E 24°21'59.5 0"N 77°2'6.90" E 24°21'55.2 0"N 77°2'6.19" E	(सुली)	1 2	3 यूके लिफ्ट स 4 शीश म. 3 नीम
3	गिट्टी (पत्थर)	लखन सिंह मीना पुत्र जयनारायण मीना निवासी-ग्राम सियाखेड़ी तह. मकसूदनगढ़	3748 दिनांक 05.10.18	16036- 39 दिनांक 21.09.15	ग्राम कुमराज	सर्वे नं. 165 / 1 / क	रकबा 4,000 हे	25.02.2019 से 24.02.2029	25.02.2019 से 24.02.2029	कार्यशील	गैर- कैप्टिव	प.क्र. 1249 दिनांक 29.04. 16	77°13'25.2" E 24°09'34.7" N 77°13'25.2" E 24°09'27.3" N 77°13'25.0" E 24°09'28.3" N 77°13'29.4" E 24°09'36.2" N 77°13'27.2" E	(सुली)	1 0	3 यूके लिफ्ट स 4 शीश म. 3 नीम
4	गिट्टी (पत्थर)	रामविलास भैथिल निवासी-ग्राम उकावद तहसील-राधौग ट	9630296 794	1846 दिनांक 03.01.17	ग्राम राजडा	सर्वे नं. 175 / 5	रकबा 1,000 हे	03/03/2015 से 02/03/2025	03/03/2015 से 02/03/2025	कार्यशील	गैर- कैप्टिव	प.क्र. व्यू. दिनांक 26.05. 16	23°56'37.0 8"N 77°14'23.6 2"E 23°56'40.6 0"N 77°14'23.2 0"E 23°56'40.9 9"N 77°14'25.9 2"E 23°56'37.9 0"N	(सुली)	1 0	3 यूके लिफ्ट स 4 शीश म. 3 नीम



Assessment
Paryaveer, M.P.
5-1, Panchayat, Panchayat, M.P.

4	मिट्टी (पथर)	हरि सिंह जाट निवासी-हनुमा न कालोनी गुना	9425310 045	22011 दिनांक 26.12.15	ग्राम हिलाईखे डा	वर्ग नं 14	रकबा 4,000 हे	26.12.2015 से 25.12.2025	-	कार्यशी ल	गैर- कॉस्टिव	प.क्र. 1,748 दिनांक 30.11. 16	77°14'27.2 0°E 24°44'22.6 6°N 77°15'42.5 3°E 24°44'19.5 1°N 77°15'42.9 7°E 24°44'19.5 0°N 77°15'45.1 9°E 24°44'21.8 8°N 77°15'45.1 4°E 24°44'24.4 7°N 77°15'45.9 3°E	(खुली)	1 2	6 यूके लिट स 4 शीश म, 2 नीम
4	मिट्टी (पथर)	बिनोद लाहोटी निवासी-राधोग डू	9°5841*1 0	16491- 93 दिनांक 21.10.16	ग्राम अल्लीपुरा	सर्वे नं. 79/1/1	रकबा 1,500 हे	18.04.2014 से 17.04.2024	29.09.04 से 28.09. 14	कार्यशी ल	गैर- कॉस्टिव	प.क्र. 1,748 दिनांक 22.11. 16	24°28'15.9 1°N 77°09'38.4 9°E 24°28'16.1 4°N 77°09'44.2 6°E 24°28'19.1 0°N 77°09'43.6 5°E 24°28'19.1 0°N 77°09'37.9 5°E	(खुली)	1 0	3 यूके लिट स 4 शीश म, 3 नीम
4	मिट्टी (पथर)	अरविन्द धाकड पुत्र श्री राधेश्याम धाकड निवासी-साडा कालोनी राधोगड, गुना	9630240 073	403 दिनांक 11.11. 2020	ग्राम हजूरतपुर	सर्वे नं. 35	रकबा 2,000 हे	12/11/2 020 से 11/11/2 030	-	कार्यशी ल	गैर- कॉस्टिव	प.क्र. 3,636 दिनांक 14.10. 20	24°23'19.1 4°N 77°8'16.08° E 24°23'19.0 2°N 77°8'19.60° E 24°23'13.7 1°N 77°8'20.75°	(खुली)	1 2	6 यूके लिट स 4 शीश म, 2 नीम

4	फसौपर थर (गिट्टी)	नाथूनाल अग्रवाल निवासी-डोबरा	9414186 666	19573- 76 दिनांक 09.11.15	ग्राम डोबरा	बमारी	सर्वे नं. 16	रकबा 1.393 हे	09/11/2 015 से 08/11/2 025	-	कायशी ल	गैर- कैस्टिव	प.क्र. 1121 दिनांक 04.08. 16	24°49'36.6 0"N 76°52'43.9 0"E 24°49'33.9 0"N 76°52'43.9 0"E 24°49'34.0 0"N 76°52'35.9 6"E 24°49'36.7 6"N 76°52'36.3 0"E	24°23'14.7 5"N 77°8'18.29" E	1 2	6 रूके लिस्ट स 4 शीश म, 2 लीम
---	-----------------------------	------------------------------------	----------------	------------------------------------	----------------	-------	--------------	---------------------	--	---	------------	-----------------	--	--	---------------------------------------	--------	--


 State Level Land Revenue
 Assessment Authority, M.P.
 (EP-3)
 Parvati Parasar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

09- विगत तीन वर्षों के राजस्व का ब्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)


मध्यप्रदेश शासन को जिला गुना से विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है, अतः खनिज उपलब्धता के दृष्टिकोण से जिला गुना मध्यप्रदेश राज्य का गौण खनिज उपलब्धता वाला एक महत्वपूर्ण जिला है।

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (रूपयो में)
1.	2019-20	7,35,75,664/-
2.	2020-21	8,95,63,060/-
3.	2021-22	16,22,55,735/-

10- विगत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा (Production Details of Last Three Years)

वित्तीय वर्ष	खनिज	उत्पादन (घ.मी. में)
2019-20	गिट्टी	4,77,894
2020-21	गिट्टी	3,28,815
2021-22	गिट्टी	8,19,768

11- जिला गुना का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Guna)



GENERAL AREA

- State Boundary
- District Boundary
- Block Boundary
- Sub-Block Boundary
- Police Station
- Post Office
- State Capital

HYDROGRAPHIC

- State Capital
- State Capital

EXPLANATION

Symbol/Color	Description
Yellow	...
Green	...
Blue	...
Grey	...
Red	...
Orange	...
Pink	...
Brown	...

EXPLANATION

Detailed text explaining the symbols and colors used in the map, including information about land use, population, and other resources.

12- जिले में उपलब्ध कुल खनिज भण्डार (Total Mineral Reserve Available in the District)

जिला गुना, मध्यप्रदेश में गौण खनिज दोहन हेतु एक महत्वपूर्ण जिला है। जिसमें खनिज रेत, गिट्टी हेतु पत्थर, मुरुम, फर्सी पत्थर, खण्डा-बोल्डर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

जिला गुना में गौण खनिजों में खनिज रेत की 23 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर खनिज की कुल 44 खदानें एवं मुरुम खनिज की 09 खदानें स्वीकृत हैं।

13- जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड (Quality/Grade of Mineral Available in the District)


जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी/ग्रेड की गुणवत्ता अच्छी है। उक्त कारणों से ही जिले में उत्खनिपट्टों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है।

14- जिले में उपलब्ध खनिजों का उपयोग (Use of Available Minerals in the District)

जिला गुना में मिलने वाले गौण खनिज जैसे कि- खनिज रेत, खनिज पत्थर क्रेशर (गिट्टी) एवं खनिज मुरुम का उपयोग सामान्यतः निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है।


15- जिले में विगत वर्षों के दौरान खनिज की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Minerals in the District During the Last Three Years)

विगत वर्षों में जिले की जनसंख्या में जैसे-जैसे वृद्धि होती गई, उसी प्रकार अन्य उपलब्ध मानव संसाधनों की तरह ही खनिज संसाधन की मांग एवं आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। जिला गुना में विगत 05 वर्षों में निर्माण कार्यों में वृद्धि होने के कारण गौण खनिज रेत, पत्थर क्रेशर (गिट्टी) व मुरुम की मांग में वृद्धि हुई है, जिसकी आपूर्ति हेतु जिला स्तर पर उत्खनिपट्टों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि हुई है।


 Paryavaran Parisar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

16- जिले के मानचित्र पर चिन्हांकित खनिज पट्टे (Mining Leases Marked on the Map of District)

जिला गुना में गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर खनिज की कुल 44 खदानें स्वीकृत हैं।



(Signature)
 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPAO)
 Paryavaran Parisar
 E-3, Arora Colony, Bhopal (M.P.)


17- जिले में गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Proposed Mines in the District)

जिला गुना के गौण खनिजों की प्रस्तावित खदानों की सूची


क्र.	नाम/पता	उल्लेखित क्षेत्र का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1.	राजवीर सिंह रघुवंशी निवासी-वार्ड क्र. 10 गुलाब गंज आरोन	ग्राम बारोद, तहसील आरोन, सर्वे नं. 65/1 मिन-2, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
2.	मैसर्स सुपरटेक कांक्रिट प्रोडक्ट निवासी-गुना	ग्राम बजरंगगढ तहसील गुना, सर्वे नं. 493 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
3.	राजकुमार पुत्र नानजीराम लोधी निवासी-ग्राम खंदी, सुठालिया, जिला-राजगढ	ग्राम तेलीगांव तहसील-चांचौडा सर्वे नं. 170/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
4.	अपूर्वा दीक्षित पत्नि विकास दीक्षित निवासी-ऑफिसर कालोनी कैन्ट, गुना	ग्राम विनायकखेडी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 62/4 रकबा 1.000 हे.	निजी
5.	मोहनराज मीना पुत्र बिट्टलदास मीना निवासी-ग्राम नया डुबेला कालोनी बमोरी	ग्राम हरिपुर तहसील-गुना सर्वे नं. 473/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
6.	अनिरुद्ध मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना निवासी-ग्राम भैसुआ, तह.चांचौडा	ग्राम भैसुआ तहसील-चांचौडा, सर्वे नं. 360/1/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
7.	धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम वनवीरखेडी तहसील-आरोन सर्वे नं. 349/1/मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
8.	राजीव रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह निवासी-आरोन, जिला-गुना	ग्राम खामखेडा तहसील- आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 4.000 हे.	शासकीय
9.	अरविन्द धाकड निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम हजरतपुर सर्वे नं. 31/1, 31/2, 36 रकबा 2.700 हे.	निजी
10.	शिवराज यादव पुत्र वनवीर यादव निवासी-ग्राम जामनेर, जिला-गुना	ग्राम मोतीपुर, तहसील- मक्सूदनगढ सर्वे नं. 170/5, 170/6 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
11.	विशाल रघुवंशी निवासी-ग्राम खामखेडा, आरोन	ग्राम खामखेडा, तहसील-आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 1.000 हे.	शासकीय
12.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम गुर्जरखेडी तह. कुभराज,	शासकीय

		सर्वे नं. 119/1 रकबा 1.5000 हे.	
13.	फूलबाई पुत्र ज्ञानसिंह निवासी-म्यापुर, तहसील-शादौरा	ग्राम खामखेडा, तहसील- आरोन सर्वे नं. 136/2/क रकबा 5.000 हे.	शासकीय
14.	दीपक कुमार झा निवासी-व्यावरा, जिला राजगढ	ग्राम नेत्याखेडी, तहसील चांचौडा, सर्वे नं. 38/1 रकबा 1.000 हे.	शासकीय
15.	रानी आदिवासी पत्नि तुलसीराम निवासी-ग्राम धानोरा, जिला-सागर	ग्राम खामखेडा, तहसील आरोन, सर्वे नं. 136/2/क रकबा 6.000 हे.	शासकीय
16.	भगवान सिंह मीना निवासी-इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं. 04, कुंभराज	ग्राम-कुंभराज, तहसील-कुंभराज, सर्वे नं. 551/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
17.	सत्येन्द्र जैन निवासी-आकाश वाणी, कॉलेज रोड, गुना	ग्राम हुंगासरा, तहसील-गुना, सर्वे नं. 104/1/ख रकबा 2.000 हे.	शासकीय
18.	हरपाल गिल निवासी-भगत सिंह कालोनी, गुना	ग्राम नेगमा, तहसील गुना, सर्वे नं. 238/1/2 मिन-6 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
19.	भगवान सिंह मीना निवासी-कुंभराज	ग्राम कुंभराज, तहसील कुंभराज, सर्वे नं. 551/2 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
20.	राजा रघुवंशी निवासी-मूडराखुर्द, आरोन	ग्राम वनवीरखेडी, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 349/1 मिन-2 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
21.	शेखर वशिष्ठ निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील-गुना सर्वे नं. 173/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
22.	प्रभाकर सेंगर पुत्र देव सिंह सेंगर निवासी- फेंडस कालोनी, गुना	ग्राम गणेशपुरा, तहसील गुना, सर्वे नं. 13, रकबा 2.000 हे.	शासकीय
23.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम बजरंगगढ, तहसील गुना, सर्वे नं. 1019(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
24.	राजेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम मकरावदा, तहसील गुना, सर्वे नं. 49/1/11(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
25.	जगदीश गुर्जर निवासी-जरकियाखेडी, तह.व्यावरा जिला-राजगढ	ग्राम पाखरियापुरा, तहसील चांचौडा, सर्वे नं. 27/11(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
26.	लोकेन्द्र गुप्ता निवासी-कुंभराज, जिला-गुना	ग्राम खेजडारामा, तहसील कुंभराज,	शासकीय

		सर्वे नं. 743/1/7/1(एस) रकबा 2.000 हे.	
27.	रामजीलाल धाकड निवासी- गुना	ग्राम-रानीगंज तहसील-गुना, सर्वे नं. 112/4(एस) रकबा 4.000 हे.	शासकीय
28.	हरिसिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-पिपयौदाखुर्द, तहसील-गुना, सर्वे नं.61(एस) रकबा 2.000 हे.	शासकीय
29.	सुनील सिंह भदौरिया निवासी-दुर्गा कालोनी, गुना	ग्राम-उमरी, तहसील-गुना, सर्वे नं. 105/1/1 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
30.	राजेश शर्मा निवासी-कृष्ण बिहार, ग्वालियर	ग्राम-मूडरामाता, तहसील-आरोन, सर्वे नं. 3/1/1/1 रकबा 3.000 हे.	शासकीय
31.	विनोद कुमार लाहोटी, निवासी- राघौगढ	ग्राम अल्लीपुरा, तहसील-राघौगढ, सर्वे नं. 53/27/1, 53/26/3, 53/28 रकबा 2.000 हे.	निजी
32.	अविनाश कलावत निवासी-गुलाब गंज, कैन्ट, गुना	ग्राम -रानीगंज, तहसील गुना, सर्वे नं. 112/4, रकबा 3.000 हे.	शासकीय
33.	सादिक मोहम्मद निवासी- मक्सूदनगढ	ग्राम कोलारस तहसील-मक्सूदनगढ सर्वे नं. 301/1 रकबा 4.000 हे.	शासकीय
34.	मैसर्स व्ही.व्ही.सी.प्रा.लि. राघौगढ निवासी-राघौगढ	ग्राम ढाढोन्या, तहसील-मक्सूदनगढ, सर्वे नं. 184/1, रकबा 2.750 हे.	शासकीय
35.	अनिल नायक पुत्र श्री गिरजाशंकर नायक निवासी-साडा कालोनी, राघौगढ	ग्राम-चैनपुरा, तहसील-राघौगढ, सर्वे नं. 84, रकबा 3.000 हे.	शासकीय
36.	विनोद नायक पुत्र श्री जी.एस.नायक निवासी-हनुमान कालोनी, गुना	ग्राम-लाडपुरा, तहसील-राघौगढ, सर्वे नं. 32/07, रकबा 4.000 हे.	शासकीय
37.	जितेन्द्र सिंह जाट निवासी-हनुमान कालोनी गुना	ग्राम-श्यामपुर तहसील-बमोरी सर्वे नं. 49/1/1 रकबा 2.000 हे.	शासकीय
38.	ईवान्शु अग्रवाल निवासी-डोवरा	ग्राम-डोवरा तहसील बमोरी सर्वे नं. 16/2 रकबा 2.000 हे.	निजी


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Parvavaran Parisar
 E-5, Area Colony, Bhopal (M.P.)

18- गुना जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृतिक शीर्ष एवं ढलान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Guna District)




भू-आकृतिक रूप से जिले का अधिकांश भू-भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के Low Level Plateaus, व Plains तथा नदियों द्वारा विकसित Terrace/Rocky Benches, Flood Plains को दर्शाता है। अन्य भू-आकृतिक इकाइयों के रूप में पूर्वोत्तर भाग में प्रोटिरोजोइक शैल-प्रकारों से विकसित संरचनात्मक पठार व मैदान तथा पूर्वी भाग में प्रोटिरोजोइक काल के Sedimentary Rocks से विकसित संरचनात्मक सोपान व Pediments-Pediplains विद्यमान हैं।


State Level Environmental Impact Assessment Authority, M.P.

Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिले का भू-भाग वृहद गंगा द्रोणी के अंतर्गत चम्बल, सिन्ध व बेतवा उप-द्रोणीयो का भाग है। पार्वती व सिन्ध तथा इनकी सहायक नदियाँ जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती हैं।




जिले में अधिकतम व न्यूनतम ऊँचाई के स्थान समुद्र तल से 553.70 मी. व 303.60 मी. ऊपर क्रमशः दक्षिणी भाग में आरोन के 09 कि.मी. दक्षिण में तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाडोन के 21 कि.मी. द. द. प. में स्थित है।



Topography का Digital Representation ही Digital Elevation Model (DEM) कहलाता है। जिला गुना का Lowest Elevation 303.60 Meter तथा Highest Elevation 553.70 Meter है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EP&S)

Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Slope, Landscape Features के मौलिक रूप को दर्शाता है, जो कि इन Features की Hydrological Engineering व Environmental Aspects के लिए महत्वपूर्ण है। जिला गुना का Slope Classification निम्नानुसार है-

Classification of Slope Percentage

Slope (%)	Slope Classification
0-3	Flat or Almost Flat
3-5	Gently Sloping
5-15	Sloping
15-30	Moderately Steep
More than 30	Very Steep

19- पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जैव विविधता का नुकसान या मिट्टी, भूजल और सतही जल का दूषित होना होता है।

1. **वायु-** खनन गतिविधियों जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपर की मिट्टी को हटाना और मुरम की सामग्री के निष्कर्षण से हवा में बड़ी मात्रा में धूल निकल सकती है। इसी तरह बड़े वाहनों में बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के खनिजों की आवाजाही वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है।

2. **पानी** - खनन का आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

3. **शोर** - खनन गतिविधियाँ जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपरी मिट्टी को हटाना और भारी मशीनरी और क्रशिंग प्लांट के माध्यम से मुरम की सामग्री का निष्कर्षण आसपास के क्षेत्रों में भारी शोर पैदा करता है।

4. **मिट्टी** - फ्लैगस्टोन और बोल्टर खानों के मामले में खनन गतिविधियों के कारण चट्टानों की आवाजाही और अधिक बोझ की आवाजाही। मिट्टी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूमि के क्षरण का कारण बनता है।

5. **वनस्पति और जीव** - खनन गतिविधियाँ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी-कभी खनिज निकालने से पहले बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार नदियों में भारी बालू खनन से जलीय जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है।

6. **भूमि उपयोग, कृषि और वन** - एक खनन गतिविधि भूमि उपयोग पैटर्न क्षेत्र उदाहरण के लिए पहाड़ और पहाड़ियों से खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की सुंदरता को कम कर सकती है, कृषि भूमि निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण बंजर भूमि में बदल

जाती है। वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि के कारण जंगल का बड़ा क्षेत्र कट जाता है जिससे क्षेत्र में वनों की कटाई होती है।

20- पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)

जिला गुना न्यूनतम पर्यावरण संघात वाला जिला है, उक्त संघात के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पट्टाधारियों व उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में पर्यावरण सचेतना एवं जागरूकता लाये जाने से संबंधित उपाय किये जाकर पर्यावरण संघात को नगण्य किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त अन्य उपाय-


- खनन गतिविधिया मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बनाये गये इन नियम अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिये जो कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम 2019, सस्टेनेबल रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020, के मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति बनाए रखे।
- पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1974 और वायु जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों और शर्तों का पालन करके किसी भी पट्टेदार द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित विशिष्ट और मानक स्थिति का पालन कर के।
- खनन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि खनन गतिविधि का लैकल पर्यावरण पर प्रभाव कम हो सके।
- उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जहां क्रशिंग इकाइयां स्थापित हैं, पट्टा क्षेत्र और पहुंच सड़कों पर पानी के लगातार छिड़काव से कम किया जा सकता है। स्टोन क्रशिंग यूनिट में वाटर स्पिंकलर, विंड ब्रेकिंग वॉल, जीआई शीट-शेड लगाए जाने चाहिए।

- खदान क्षेत्रों में और उसके आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न कचरे को उचित रूप से डंप किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को श्वसन यंत्र, एन-95 मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को इयर प्लग प्रदान किया जाना चाहिए।
- इस बात की बार-बार निगरानी की जानी चाहिए कि नदी के तल में रेत के खनन से नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता है। यह जल संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है।
- सभी मशीनरी सिस्टम उपकरण स्थापित एक अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
- खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार करने के लिए 10 मीटर की हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान और अनुमतियों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

21- खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)

यदि उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो खनन कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनन संचालन के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफाइल स्पष्ट रूप से बदल जाएगी और खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का परिमाण और महत्व उपलब्ध खनिजों के प्रकार, खनन और प्रसंस्करण की विधि आदि पर निर्भर करता है।

खनन के बाद खनन की गई, भूमि का पुनर्द्धार और पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। पुनर्ग्रहण और भूमि के लिए खनन गतिविधि, खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए ताकि खनन सुधार किया जा सके।


 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (EPCO)
 Paryavaran Parisar
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अधिकांश खदानों में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, खदानों का पुनर्ग्रहण अपशिष्ट चट्टान या ओवर बर्डन को खदान में वापस भरकर किया जा सकता है, हालांकि खदान सुधार योजना में निम्नलिखित चरण होने चाहिए-

1. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन का भंडारण और संरक्षण।
2. खनन के दौरान और उसके अंत में, खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव।
3. डम्पो का स्थिरीकरण।
4. खनिज पदार्थ के ढेर के लिए डंपिंग ग्राउंड तैयार करना।

22- जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)

जिला गुना में संचालित अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण समग्र रूप से सुनिश्चित किया गया है। हरित पट्टी विकास किये जाने सम्बन्ध में उपागम प्राथमिकता स्तर पर प्रक्रियारत हैं, जिसके अग्रेत्तर वर्षा अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

वृक्ष, वायु प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, और इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करके हम जैव-सौंदर्य शास्त्र के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका शमन भी कर सकते हैं। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषित कणों को रोकने वाले पेड़, और प्रदूषण को सहन करने वाले पेड़ और उनके प्रकारों पर उचित योजना और वृक्षारोपण निर्भर करता है।

पेड़ पौधे सदैव हरे भरे, पड़े पत्ते वाले, साथ ही खुरदुरे तने वाले और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र के साथ सक्षम होना चाहिए। ऐसे पेड़ लगाये जाना चाहिए जो कि कम पानी का उपयोग करते हो, कम देखभाल वाले, प्रदूषण को शोषित करने में सक्षम, प्रदूषण रोकने वाले, पर्यावरण के अनुकूल, तेजी से बढ़ने वाले, और तेज हवा में न टूटने वाले होने चाहिए। पेड़ों की प्रजातिया मिट्टी, स्थालाकृति, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए।


कम से कम दो पंक्तियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के स्तर हो ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके।

वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास के लिये वृक्षों व प्रजातियों की जानकारी-

S. No.	Botanical Name	Family	Common Name
1.	Tamarindus indica (Linn)	Caesalpinaceae	Imli
2.	Anogeissus pendula	Combrataceae	Kardhai
3.	siras Albizia lebbek	Leguminosae (Mimoseae)	Kala
4.	Azadirachta indica	Meliaceae	Neem
5.	Butea monosperma	Leguminosae (papilionaceae)	Palas
6.	Ficus infectoria	Moraceae	Pakar
7.	Stereospermum suaveolens	Bignoniaceae	Padar
8.	Salmalia malabarica, Bombaxieba	Malvaceae	Semal
9.	Madhuca indica	Sapotaceae	Mahua
10.	Delbergia latifolia, Roxb	Leguminosae (Papilionaceae)	Shisham
11.	Lanea coromandalica	Anacardiaceae	Kankar
12.	Diospyros melanoxeon	Ebenaceae	Tendu
13.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	Dhavda
14.	Zizyphus jujube	Rhamnaceae	Ber
15.	Cassia fistula	Leguminosae (Caesalpinaceae)	Amaltash
16.	Syzygium cuimini	Myrataceae	Jamun
17.	Acacia karoo	Fabaceae	Keekar
18.	Buchanania lanzan (spreg)	Anacardiaceae	Achar
19.	Mangifera indica (Linn)	Anacardiaceae	Aam
20.	Emblica officinalis	Euphorbiaceae	Awla



Alka and
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(E.P.O.)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



State Level Environmental Impact Assessment

(EPCG)
Parvavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)





(Handwritten signature)



हमारा बैंक भारतीय स्टेट बैंक
प्रदेहारका नाम- निशांक गर्ग
ग्राम- मोहनपुर कला
सर्वे क्रं.- 57/1 रकबा 40000 है.
अवधि- 18/12/15 से 17/12/25 तक



State Level Survey Report
[Signature]
[Signature]
[Signature]



State Level: *NSAUL*
Assessment / University, M.P.
(E-5)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



प्रस्तावित परियोजना, बैरियर जोन के बिना मायनिंग वाले क्षेत्रों में, एपरोच रोड़, नदी किनारों के आसपास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

(Signature)

पर्यावरण प्रसार
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

23- जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)

ओपन कास्ट विधि में धूल मुख्य प्रदूषक है। खनिज साइट पर, उत्खनन और लोडिंग गतिविधि के दौरान, उत्पन्न धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओपन कास्ट माइनिंग के कारण उत्पन्न व्यावसायिक खतरे मुख्य रूप से भौतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं।

संभावित शारीरिक खतरे, इस प्रकार हैं -

खनन कार्यों के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की गई -

प्रकाश - श्रमिकों को खराब रोशनी या अत्यधिक चमक के जोखिम से अवगत कराया जा सकता है।

प्रभाव - आंखों में खिंचाव, सिखरद, आंखों में दर्द और लैक्रिमेशन, कार्निया के आसपास जमाव और आंखों की थकान। वर्तमान समय में, खनन गतिविधि केवल दिन के समय की जाती है।

गर्मी और आर्द्रता - सबसे आम शारीरिक खतरा गर्मी है। गर्मी का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, शरीर में जलन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्पस शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं- दक्षता में कमी, थकान में वृद्धि और दुर्घटना दर में वृद्धि। गर्मी में, तापमान और हवा के तापमान में वृद्धि होने पर गर्म और आर्द्र स्थिति का सामना करना पड़ता है। नदी तल खनन क्षेत्र में गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकता है।

आंखों में जलन - गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण उड़ने वाली धूल-मिट्टी से आँखों में खुजली और आँखों में पानी आने की समस्या हो सकती है।

श्वसन संबंधी समस्याएं - हवा में बड़ी मात्रा में धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। जिस से श्वसन संबंधी विकार जैसे- अस्थमा व फेफड़ों और ब्रॉन्कियल मार्ग में जलन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

शोर प्रेरित बहरापन - खदान में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत मशीनरी है, जिस से बहरेपन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

24- जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Managment)

खनन कार्यो में संभावित जोखिमों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, भंडारण और संचालन, मानवीय त्रुटियों, बिजली की विफलता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना के संचालन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में चर्चा करती है। यह पहचाने गए संभावित खतरे के लिए विभिन्न दुर्घटना परिदृश्यों की गणना की आवृत्तियों को भी प्रस्तुत करता है। इनमें विनाशकारी घटनाएं या पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और तकनीकी कारणों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। सामग्री के परिवहन के दौरान, ईंधन/हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के प्रज्वलन से बड़े वाहनों में आग लग जाती है।

संरचनात्मक विफलता :-

खदान में डंप, बेंच/पिट ढलानों की अस्थिरता, जो चोट और मृत्यु का कारण बन सकती है।

जोखिम के लिए परिकल्पित परिदृश्य :-

कार्य का ज्ञान - जोखिम मूल्यांकन कार्य के सभी पहलुओं की पूरी समझ पर निर्भर करता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में जोखिम मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

व्यक्तिगत क्षमता - किसी भी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कार्य में शामिल कर्मियों का ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण समीक्षा शामिल होना चाहिए। एक जानकार, अनुभवी अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटनाओं के कम जोखिम पर होगा।

समन्वय - यह आवश्यक है कि समन्वयक, यह सुनिश्चित करे कि कार्य में लगे सभी लोग सक्षम हों और दूसरों की भूमिका और एक-दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझें।

खतरों की पहचान :-

तकनीकी खतरे - इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खतरों की व्याख्या हानिकारक धूल, गैसों और शोर के रूप में की जानी चाहिए, जो सतही खनन कार्यों के दौरान उत्सर्जित होती है। खनन कार्यों में शामिल अन्य खतरनाक कार्य जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित हैं।

शोर - खदान के वातावरण में शोर को एक सामान्य व्यावसायिक खतरा माना जाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से श्रवण तंत्रिकाओं और इसके संवेदी घटकों (शोर प्रेरित बहरापन) को स्थायी नुकसान हो सकता है। शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) से बचने के लिए, इन मशीनों के केबिनो को ध्वनिरोधी बनाया जाए। साथ ही, उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले आपरेटरों और अन्य श्रमिकों को उनकी सुरक्षा के लिए इयर प्लग/इयर मफ प्रदान किए जाए। किसी भी कर्मचारी को उचित सुरक्षा उपकरण पहने बिना, उच्च शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

सतह की आग - रेड आँकर डिपॉजिट में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं। हालांकि कोयला खदानों में लगे डंपरों में आग लग सकती है। अग्निरोधक पात्र को छोड़कर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाए। चार माह से अधिक समय तक रखे कोयले में स्वतः ज्वलन क्रिया होने लगती है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर या उसके पास कोई प्रकाश या दीपक नहीं रखेगा और न ही उसे फेंकने देगा। एमएमआर 1961 के विनियम 121 के अनुसार खदान के हर प्रवेश द्वार पर या हर जगह जहां ज्वलनशील सामग्री जमा है, रेत या ज्वलनशील धूल या पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

लोडिंग - खनिज का समस्त लदान, लोडर/उत्खनन के द्वारा किया जायेगा। हालांकि, श्रमिकों को लोडिंग कार्यों से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों पर सामग्री गिरने से बचा जा सके। इसके अलावा, लोडिंग मशीन आपरेटर को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए साइट पर्यवेक्षक द्वारा लोडिंग संचालन की निगरानी की जाती है।

State Level Environmental Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arora Colony, Bhopal (M.P.)

गड्डे ढलान विफलता - बेंच की विफलता से बचने के लिए खान बेंचों के किनारों को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा। बेंच की ऊंचाई से अधिक चौड़ाई के साथ 6 मीटर ऊंचाई रखने की योजना है। बेंच के किनारों और किनारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि विफलता, दरारों के विकास आदि के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण किया जा सके। किसी भी बेंच या गड्डे ढलान की विफलता से बचने के लिए उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे।

भारी वाहन - खनिज और ओवरबर्डन के लदान और परिवहन में उचित सावधानी बरती जाएगी। ब्रेक फेल होने की संभावना को कम करने के लिए अच्छा रखरखाव और नियमित परीक्षण आवश्यक है। एक क्षेत्र को एक परीक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर नियमित परीक्षण किए जाते हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीई) - व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को लागू किया गया है।

यातायात - चूंकि उपयोग किए जाने वाले वाहन संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए यातायात की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का कोई खतरा नहीं है। तथापि, ढुलाई सड़कों का उचित रखरखाव किया जाएगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए खनिज परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों पर गति सीमा निहित होगी।

आपदा प्रबंधन योजना - पूर्ण खनन कार्य प्रबंधन नियंत्रण एवं योग्य खान प्रबंधक के निर्देशन में किया जायेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद ने खान प्रबंधन द्वारा पालन किए जाने वाले कई स्थायी आदेश, और परिपत्र जारी किए हैं। खदान के गड्डे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रखरखाव। खनन पिट से पानी निकालने के लिए पम्पों की व्यवस्था। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खान कार्यालय परिसर एवं खनन क्षेत्र में अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखा जायेगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हेलमेट, काले चश्मे आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उपयोग की नियमित जांच की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण। चेहरों की नियमित सफाई। निर्माण के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खनन उपकरणों का

नियमित रखरखाव और परीक्षण। ढुलाई सड़कों पर धूल का दमन। प्रतियोगिताओं, पोस्टरों और इसी तरह के अन्य अभियान के माध्यम से सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संचार प्रणाली - विभाग प्रमुख और उनकी लाइन आफ कमांड के लिए एक आंतरिक संचार प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए। बचाव स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन सेवा स्टेशन, स्थानीय अस्पताल, बिजली आपूर्ति एजेंसी और स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और पते होना एक और आवश्यक पहलू है।


सलाहकार समिति - खान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं - खदान प्रबंधन के पास आपात स्थिति में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा है। सभी हताहतों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।

जनसंपर्क समूह के कार्य - सरकारी अधिकारियों और अन्य समाज सेवा संगठन के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा। किसी भी आपदा से उत्पन्न दहशत, तनाव, भावनाओं, शिकायतों और आशंकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए खनिकों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना।

अस्थायी बंद के दौरान देखभाल और रखरखाव - खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के दौरान किसी भी कारण से, नोटिस (एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 एमएमआर, 1961 के नियम 6 के अनुसार) आईबीएम और खान सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूचना के साथ एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 के अनुसार प्रपत्र संख्या डी-1 संलग्न किया जाएगा। देखभाल और रखरखाव के संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।


State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPEA)
Parvati, Bhopal
P. 5, A. Bhopal (M.P.)

गड्डों का संरक्षण - डीजीएमएस के परिपत्र के अनुसार पट्टे के खदान वाले हिस्से को स्थानीय भाषा में खतरे को प्रदर्शित करने वाले चेतावनी बोर्ड के साथ खुले गड्डे के चारों ओर फेंसिंग द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

क्षेत्र की सुरक्षा - स्थानीय भाषा में बिना अनुमति के परिसर में 'प्रवेश सख्त वर्जित है' शीर्षक के साथ प्रवेश पर एक बोर्ड प्रदर्शित करके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

रखरखाव और निगरानी - सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार रखरखाव किया जाएगा। सभी खनन मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किए गए वृक्षारोपण की देखभाल और रखरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा। खदान के किसी भी अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

आपात योजना - खदान में कहीं भी कुछ भी गंभीर होने का पता चलने पर, फोरमैन या साथी तुरंत निकटतम खनन अधिकारी और प्रबंधक को सूचित करेंगे। आपात स्थिति की सूचना मिलने पर शिफ्ट प्रभारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सामग्री और परिवहन व्यवस्था को तैयार रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा जाना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा निर्धारित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

काम करने वाले क्षेत्र का वैचारिक पुनर्वास - डंपिंग सामग्री के साथ अधिकतम संभव गहराई तक पहुंचने के बाद यानी सतह से अनुमेय गहराई और शेष क्षेत्र को जल भंडारण के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए अंतिम गड्डों के चारों ओर पर्याप्त रूप से मोटी बांध की दीवार का निर्माण किया जाएगा। बांध के चारों ओर पौधरोपण किया जाएगा। इस प्रकार, संकल्पनात्मक स्तर पर उत्पन्न सभी कचरे को तैयार किए गए गड्डे में पूरी तरह से वापस भर दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा - आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य खनन गतिविधि के दौरान अप्रत्याशित, अचानक हुई घटना के कारण खनन कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिससे श्रमिकों या किसी मशीनरी या

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)

Receipt Parivararan Parisar

Uttar Pradesh Government, Ghazipur (M.P.)

पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। खनन परियोजना में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं।

- खदान में काम करने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए।
- खनन कार्यों के दौरान चोट की घटनाओं और गंभीरता को रोकने या कम करने के लिए।
- गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देना।

किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जीवन की अत्यधिक हानि का कारण बनती है, और संपत्ति और आसपास के वातावरण को भी इस हद तक नुकसान पहुंचाती है कि, समाज के लिए उपलब्ध सामान्य सामाजिक और आर्थिक तंत्र गड़बड़ा जाता है। भारत सरकार ने देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, व्यापक और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना और आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के साथ सामने आया।

मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) का यह भी मानना है कि, हर जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी दृष्टि और रणनीति को स्पष्ट करे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा, डीएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी, कामकाज और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का दायरा बहुत व्यापक है, और यह आपदाओं के सभी चरणों (पहले, दौरान, बाद और गैर आपदा समय) में लागू होता है। डीडीएमपी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं और आपात स्थिति में सीधे अधीनस्थों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन योजना और संबद्ध कार्यों की समीक्षा सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला

और उप जिला स्तरीय संस्थागत गतिविधियों को देखें। यह सभी हितधारकों के लिए और उनकी तैयारी के स्तर का अध्ययन करने के लिए एक चेकलिस्ट भी सुनिश्चित करता है।

योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों, क्षमताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना और संबंधित जिले में आपदाओं और आपदाओं के खतरों से बचने की तैयारी करना। आपदा चरण के दौरान गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, खोज और बचाव को जुटाना, क्षति का आकलन शामिल है। आपदा चरण के बाद गतिविधियों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।



(Signature)
 State Level Environment Impact
 Assessment Authority, M.P.
 (SEPCO)
 Receipt No. *Prayakaran, Parisar*
 Date *...* Bhopal (M.P.)